VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

कोविड -19 महामारी की लगातार लहरों के पुनः उभरने के कारण बुरी तरह प्रभावित वित्तीय प्रणाली को वर्ष के दौरान लचीली तथा स्थिर बनाए रखना प्राथमिक उद्देश्य बना रहा । तदनुसार, आर्थिक गतिविधियों के सामान्यीकरण को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करने हेतु कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों को बेहतर बनाया गया। इसके अलावा, दीर्घकालिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संगति बनाए रखने के लिए, विनियमित/पर्यवेक्षित संस्थाओं के मौजूदा विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को सुव्यवस्थित किया गया और सुदृढ़ बनाया गया। इसके साथ ही, वर्ष के दौरान प्रवर्तन कार्यों में स्थिरता सुनिश्चित की गई थी, जिससे सभी हितधारकों के साथ जुड़ने में मदद मिली। वर्ष के दौरान, ग्राहक सेवा/शिकायत निवारण के लिए प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना और उपभोक्ता संरक्षण, समवर्ती उद्देश्य थे।

VI.1 इस अध्याय में, वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए वर्ष के दौरान किए गए विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा की गई है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ विनियामक /पर्यवेक्षी ढांचे को संरेखित करने के समग्र उद्देश्य के हिस्से के रूप में, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन कार्य और बैंकों में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस दौरान उत्पन्न चुनौतियों को शामिल करने के लिए कोविड-19 महामारी के लिए विनियामकीय प्रतिक्रिया को और सुदृढ़ किया गया। मई 2021 में विनियमन विभाग (डीओआर) के भीतर एक धारणीय वित्त समूह (एसएफजी) का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर रिज़र्व बैंक के प्रयासों और विनियामकीय कार्यों का नेतृत्व करना है। वर्ष के दौरान एलआईबीओआर बेंचमार्क से सुचारू संक्रमण की सुविधा प्रदान की गई थी, और निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और पूंजी संरचना पर आंतरिक कार्य दल की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; जबकि अन्य शेष की जांच की जा रही है। वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा सांविधिक विवरणी और पर्यवेक्षी प्रकटन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को और अधिक स्वचालित बनाया गया। 4 जनवरी, 2022 को एक नए फिनटेक विभाग की स्थापना विशेष रूप से फिनटेक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के दौरान अवसरों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए की गई।

VI.2 अन्य क्षेत्रों में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बढ़ते आकार, जटिलता और परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए 'आकार-आधारित विनियमन' नाम से एक संशोधित विनियामक ढांचा लाया गया। एनबीएफसी के लिए नई विनियामकीय संरचना को उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार स्तरों में विभाजित किया गया है, और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी आवश्यकताओं, अभिशासन मानकों और विवेकपूर्ण विनियमन को समाहित करने वाले विनियमन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, तथा यह 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन शुरू करने और सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए ग्राहक सुरक्षा उपायों को और मजबूत बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक की सभी विनियमित इकाइयों (आरई) के सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए एक व्यापक विनियामकीय ढांचा 14 मार्च, 2022 को जारी किया गया था, जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एनबीएफसी द्वारा लाभांश के वितरण पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।

VI.3 ऋण जोखिम हस्तांतरण के क्षेत्र में एक मजबूत बाज़ार के विकास और दबावग्रस्त ऋणों में अधिक से अधिक निवेशकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, 'मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण' और 'ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण' पर संशोधित दिशानिर्देश 24 सितंबर, 2021 को जारी किए गए थे।

VI.4 पर्यवेक्षी क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक ने एक एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) के अंतर्गत मौजूदा ढांचे को मजबूत करने के अपने प्रयास को जारी रखा, जिसमें बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और एनबीएफसी का समग्र पर्यवेक्षण किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष निगरानी, प्रत्यक्ष मूल्यांकन, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) के विकास और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से उपयोग कर लाभ उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, यूसीबी के लिए पांच-स्तंभों वाली रणनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर एक प्रौद्योगिकी परिदृष्टि दस्तावेज जारी किया गया। एनबीएफसी के लिए, पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली को तर्कसंगत बनाया गया और इसे पुनः डिजाइन किया गया। रिज़र्व बैंक की डेटा क्षमताओं को संशोधित डेटा वेयरहाउस, अर्थात्, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से और उन्नत किया जाएगा। दूसरी ओर, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस) ने वर्ष के दौरान पर्यवेक्षी और विनियामकीय संसाधनों के कौशल को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन किया।

VI.5 यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना की प्रक्रिया सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में क्रिस्टलीकृत हो रही है। वर्ष के दौरान की गई अन्य पहल, जैसे "रिज़र्व बैंक -एकीकृत लोकपाल योजना" (आरबी-आईओएस), 2021 के अंतर्गत 'एक राष्ट्र -एक लोकपाल' प्रणाली को अपनाना, सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए प्रस्तावित विनियामकीय ढांचा, छोटे उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन शुरू करना और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 में संशोधन, से ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

VI.6 इस अध्याय के शेष भाग को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफ़एसयू) के अधिदेश और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 वर्ष के दौरान नवसृजित फिनटेक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ डीओआर द्वारा किए गए विभिन्न विनियामकीय उपायों का विवरण प्रस्तुत करता है। खंड 4 में डीओएस द्वारा किए गए कई पर्यवेक्षी उपायों और वर्ष के दौरान प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) द्वारा किए गए प्रवर्तन कार्यों को शामिल किया गया है। खंड 5, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा उपभोक्ता हितों की रक्षा करने, जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखने में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। उक्त विभागों ने अपने-अपने खंडों में 2022-23 के लिए कार्य-योजना भी निर्धारित किया है। समापन टिप्पणियां अंतिम खंड में दी गई हैं।

2. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफ़एसयू)

VI.7 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) का अधिदेश वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों की जांच करके, प्रणालीगत दबाव परीक्षणों, वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण के माध्यम से समष्टि-विवेकपूर्ण चौकसी और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से पूर्व चेतावनी सूचना और विश्लेषण का प्रसार करके वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता की निगरानी करना है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, जो देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमन की निगरानी के लिए विनियामकों का एक संस्थागत तंत्र है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.8 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- नव विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं *(उत्कर्ष)* को शामिल करके दबाव परीक्षण ढांचे / पद्धति को मजबूत करना [पैराग्राफ VI.9];
- समष्टि-विवेकपूर्ण चौकसी संचालन (पैराग्राफ VI.10);

- समय पर और अद्यतन रूप में एफ़एसआर का प्रकाशन (पैराग्राफ VI.10); और
- एफ़एसडीसी उप-समिति (एफ़एसडीसी-एससी) की बैठकों का आयोजन [पैराग्राफ VI.11]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.9 वर्तमान दबाव परीक्षण ढांचे को मजबूत करने के हिस्से के रूप में, बहु- कारक आधारित समष्टि विवेकपूर्ण दबाव परीक्षण के लिए एक संशोधित ढांचा विकसित किया गया था। इसमें सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात, कर के बाद लाभ के घटकों और चूक की क्षेत्रवार संभावना के पूर्वानुमान के लिए सैटेलाइट मॉडलों का संशोधन और परीक्षण करना शामिल था। वास्तविक समय में डेटा के साथ दबाव परीक्षण ढांचे को परिष्कृत करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

VI.10 वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों के संतुलन पर एफएसडीसी की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाते हुए, वर्ष के दौरान एफएसआर के दो संस्करण जारी किए गए। 1 जुलाई, 2021 को लाए गए एफएसआर के 23वें अंक ने वित्तीय बाजारों और संस्थानों पर महामारी के प्रकोप की गंभीरता को रोकने के लिए विनियामकों और सरकारों की वैश्विक नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला। इसमें आगे चलकर अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग को समर्थन देने के लिए घरेलू बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। एफएसआर का 24वां संस्करण 29 दिसंबर, 2021 को जारी किया गया था। इसने लगातार मुद्रास्फीति के दबाव और वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। घरेलू बैंकिंग क्षेत्र की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति को देखते हुए, इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रों में दबाव के उभरते संकेतों की ओर इशारा किया। एफएसआर के दोनों संस्करणों में समष्टि दबाव परीक्षण परिणामों ने संकेत दिया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में गंभीर दबाव वाली स्थितियों में भी, समग्र के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर पर्याप्त पूंजी बफर उपलब्ध हैं।

VI.11 एफएसडीसी-उप समिति ने 2021-22 में दो बैठकें कीं, जो कोविड-19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के कारण वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गईं। अप्रैल 2021 में सम्पन्न बैठक में उप समिति ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की। इसने विभिन्न अंतर-विनियामक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया, इसके कार्यक्षेत्र में आने वाले तकनीकी समूहों की गतिविधियों की समीक्षा की और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज का मूल्यांकन किया। उक्त समिति के सदस्यों ने महामारी के दुबारा फैलने के कारण उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करते हुए सतर्क और सक्रिय रहने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। उप-समिति ने जनवरी 2022 में आयोजित अपनी बैठक में वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख विकास की समीक्षा की और कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से उभरने वाले परिदृश्य के बारे में सदस्यों के मूल्यांकनों पर चर्चा की। उप-समिति ने आरई द्वारा *आधार* आधारित ई-केवाईसी और *आधार* समर्थित भुगतान प्रणाली के उपयोग पर भी चर्चा की।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.12 आने वाले वर्ष में, एफ़एसयू निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- संशोधित दबाव परीक्षण ढांचे का कार्यान्वयन और एफ़एसआर (*उत्कर्ष*) में परिणामों का प्रकाशन;
- बैंक पूंजी पर आवास मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को शामिल करते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण करना;
- समष्टि-विवेकपूर्ण चौकसी का संचालन;
- अर्ध-वार्षिक एफ़एसआर का प्रकाशन; और
- एफ़एसडीसी-एससी की बैठकों का संचालन।

3. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियमन

विनियमन विभाग (डीओआर)

VI.13 विनियमन विभाग (डीओआर) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के विनियमन के लिए नोडल विभाग है, जो लागत प्रभावी और समावेशी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। विनियामक ढांचे को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूल बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार इसे समायोजित किया जाता है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.14 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बेसल III मानकों के साथ रिज़र्व बैंक के नियमों के अभिसरण के हिस्से के रूप में ऋण जोखिम (मानक दृष्टिकोण) जोखिम, परिचालन जोखिम और आउटपुट फ्लोर के लिए पूंजी प्रभार पर मसौदा दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.15);
- मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना और ऋण जोखिमों के हस्तांतरण के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.16);
- *यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना:* राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड को 18 अप्रैल, 2020 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। यूओ के शेयरधारक सदस्य के रूप में यूसीबी के नामांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है। यूओ को एनबीएफसी (*उत्कर्ष*) के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करना आवश्यक है [पैराग्राफ VI.17];
- *यूसीबी क्षेत्र के समेकन पर चर्चा पत्र:* फरवरी 2021 में यूसीबी पर गठित एक विशेषज्ञ समिति, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यूसीबी क्षेत्र में समेकन की संभावनाओं को इसके विचारार्थ विषयों में से एक के रूप में जांच कर रही है। समिति *(उत्कर्ष)* की सिफारिशों के आधार पर इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी [पैराग्राफ VI.18];
- वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व को देखते हुए एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियामक ढांचे को अंतिम रूप देना (पैराग्राफ VI.19);
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) पर लागू विनियामकीय ढांचे की समीक्षा और सूक्ष्म वित्त क्षेत्र (पैराग्राफ VI.20) में विभिन्न विनियमित उधारदाताओं के लिए विनियामक ढांचे का समानीकरण; और
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के विनियामकीय और विधिक ढांचे की व्यापक समीक्षा ताकि वित्तीय क्षेत्र की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके (पैराग्राफ VI.21)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.15 बासेल III मानकों के साथ अपने नियमों के अभिसरण के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 'परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश' का मसौदा जारी किया। इसके अलावा, अन्य जोखिम श्रेणियों और आउटपुट फ्लोर पर मसौदा दिशानिर्देश जून 2022 तक जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद सितंबर 2022 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

VI.16 24 सितंबर, 2021 को मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 और मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतीकरण) निर्देश, 2021 जारी किए गए।

यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना

VI.17 राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनसीएफडीसी) को सूचित किया गया है कि वह पूंजी जुटाने की योजना के ब्यौरे के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए अपने आवेदन को पुन प्रस्तुत करे। आगे की कार्रवाई एनएएफसीयूबी के पास लंबित है।

यूसीबी क्षेत्र के समेकन पर चर्चा पत्र

VI.18 यूसीबी क्षेत्र में समेकन का विषय यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषयों में से एक था। हालांकि, समिति ने यूसीबी के समेकन को मुख्यत: स्वैच्छिक आधार पर करने की सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यूओ के माध्यम से छोटे यूसीबी की नेटवर्किंग करके यूसीबी क्षेत्र में अपेक्षित स्केल को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए रिज़र्व बैंक ने पहले ही शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का राष्ट्रीय संघ (एनएएफसीयूबी) को सैद्धांतिक रूप से विनियामकीय अनुमोदन दे दिया है। एनएएफसीयूबी द्वारा यूओ की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

VI.19 "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा" के संबंध में 22 अक्टूबर, 2021 को एक एकीकृत परिपत्र जारी किया गया था। इस परिपत्र में पूंजी आवश्यकताओं, अभिशासन मानकों, विभिन्न लेयरों वाले एनबीएफसी के लिए लागू विवेकपूर्ण विनियमन और प्रकटीकरण निर्देश शामिल हैं।

VI.20 सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए एक व्यापक विनियामकीय ढांचा 14 मार्च, 2022 को जारी किया गया था, जिसे सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में ऋण देने वाली सभी विनियमित इकाइयों पर लागू किया गया है।

VI.21 भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक श्री सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एआरसी के विनियामकीय और विधिक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट 2 नवंबर, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी की गई थी। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

प्रमुख गतिविधियां

कोविड-19 महामारी के लिए विनियामकीय प्रतिक्रिया

VI.22 समाधान ढांचा - 2.0: छोटे उधारकर्ताओं पर 2021-22 की पहली तिमाही में कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 5 मई, 2021 को समाधान ढांचा 2.0 की घोषणा की थी, जिसे बाद में 4 जून, 2021 को संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा ऋणदाता संस्थानों को व्यक्तिगत ऋण के साथ-साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों, एमएसएमई, और ₹ 50 करोड़ तक के कुल जोखिम वाले अन्य छोटे व्यवसायों को प्रदत्त ऋण को, आस्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड किए बिना, कुछ शर्तों के अधीन, पुनर्गठन की अनुमति दी थी। पहले की पुनर्गठन योजनाओं के अंतर्गत अपने ऋण खातों का पुनर्गठन नहीं करवा सकने वाले पात्र उधारकर्ताओं के लिए यह सुविधा 30 सितंबर, 2021 तक उपलब्ध करवाई गई।

VI.23 कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय पैरामीटर - अनुपालन के लिए संशोधित समय-सीमा: 2021 में कोविड -19 महामारी के दुबारा फैलने के कारण और परिचालन मापदंडों को पूरा करने में उधारकर्ताओं के लिए उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की पहचान करते हुए, चार परिचालन मापदंडों *अर्थात्,* 6 अगस्त, 2020 को जारी कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजना के हिस्से के रूप में ऋण /ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले कुल आय, चालू अनुपात, कर्ज़ चुकौती कवरेज अनुपात

(डीएससीआर), और औसत डीएससीआर (एडीएससीआर) के संबंध में निर्दिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर, 2022 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, समाधान योजना के अनुसार समायोजित मूर्त निवल मालियत (टीओएल / एटीएनडब्ल्यू) अनुपात के लिए कुल बाह्य देयताओं को प्राप्त करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक निर्धारित लक्ष्य तिथि अपरिवर्तित रही।

अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) पर विवेकपूर्ण मानदंड

VI.24 सभी ऋण देने वाली संस्थाओं में आईआरएसीपी मानदंडों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के कुछ पहलुओं को 12 नवंबर, 2021 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट और / या समानीकृत किया गया। उक्त परिपत्र में निम्नलिखित को स्पष्ट किया गया है: नियत तिथि / पुनर्भुगतान तिथि का विनिर्देश; विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) और अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में एक खाते के वर्गीकरण का परिचालन पहलू; 'आउट ऑफ ऑर्डर' की परिभाषा; ब्याज भुगतान के मामले में एनपीए वर्गीकरण के लिए 90 दिनों के अपराध मानदंड को संरेखित करना; एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन; और ब्याज के भुगतान पर स्थगन वाले ऋण के लिए आय निर्धारण नीति। इसके बाद, 15 फरवरी, 2022 के परिपत्र के माध्यम से, एनबीएफसी को एनपीए खातों के उन्नयन से संबंधित प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणालियों को अपनाने हेतु 30 सितंबर, 2022 तक का समय दिया गया था। इसके अलावा, गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिए गए ओवरड्राफ्ट (ओडी) खातों के लिए 'आउट ऑफ ऑर्डर' परिभाषा की प्रयोज्यता, एक ऋण देने वाली संस्था से कई ऋण सुविधाएं प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं के मामले में एनपीए का उन्नयन, केंद्रीय बृहत ऋण सूचना आधान (सीआरआईएलसी) को ऋण विवरण की रिपोर्टिंग पर 12 नवंबर, 2021 के परिपत्र के प्रभाव और एनबीएफसी द्वारा भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त कतिपय प्रश्नों पर स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया है।

VI.25 इसके अलावा, ऋण खातों के आस्ति वर्गीकरण की अवधारणा पर उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, 12 नवंबर, 2021 के परिपत्र में ऋणदाता संस्थानों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे कारोबार की समाप्ति के विशिष्ट संदर्भ में अतिदेय तिथि, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन की अवधारणाओं को उदाहरणों के साथ समझाते हुए, अपनी वेबसाइटों पर उपभोक्ता शिक्षण साहित्य उपलब्ध कराएं। ऋण देने वाले संस्थानों को यह भी सूचना दी गई थी कि वे पोस्टर और / या अन्य उपयुक्त मीडिया के माध्यम से अपनी शाखाओं में इस तरह के उपभोक्ता शिक्षण साहित्य को प्रदर्शित करने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी सूचना दी गई थी कि उनके फ्रंट-लाइन अधिकारी उधारकर्ताओं को ऋणों की स्वीकृति / संवितरण / नवीकरण के समय इन सभी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें। इन निर्देशों का यथाशीघ्र किन्तु 31 मार्च, 2022 तक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देश

VI.26 पारंपरिक प्रतिभूतीकरण संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 सितंबर, 2021 को जारी 'मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण' पर निर्देशों के माध्यम से विनियामकीय ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है। न्यूनतम धारणीयता अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता संबंधी अपेक्षाओं को बहुत सरल बनाया गया है, जबकि सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी) प्रतिभूतीकरण के मामले में रियायती पूंजी व्यवस्था सहित प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के लिए पूंजी आवश्यकताओं को बासेल III आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। उक्त दिशानिर्देशों में प्रतिभूतीकरण के लिए एक मजबूत समर्थनकारी परितंत्र प्रदान करने के लिए विभिन्न सुविधा प्रदाताओं के लिए आवश्यकताओं को भी निर्धारित किया गया है।

ऋण जोखिम के हस्तांतरण पर दिशानिर्देश

VI.27 ऋणों के लिए एक मजबूत द्वितीयक बाजार, उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र हो सकता है। यह चलनिधि बढ़ाने में भी सहायक

है। 24 सितंबर, 2021 को जारी ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर मास्टर निदेश में बैंकों, एनबीएफसी और एआईएफआई द्वारा ऋण जोखिमों के हस्तांतरण के लिए व्यापक विनियामक ढांचा निर्धारित किया गया है। विशेष रूप से, बाज़ार प्रतिभागियों के एक व्यापक समूह को दबावग्रस्त ऋण जोखिमों के हस्तांतरण के लिए, कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, एक समर्थकारी ढांचा स्थापित किया गया है।

स्केल आधारित विनियमन - एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा

VI.28 वास्तविक आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने और बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक माध्यम के रूप में कार्य करने की दिशा में एनबीएफसी के योगदान को अच्छी तरह से जाना जाता है। हालांकि, एनबीएफसी की उच्च जोखिम वहन क्षमता ने समय के साथ उनके आकार, जटिलता और परस्पर संबंध में योगदान दिया है, जिसने कुछ संस्थाओं को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं। इस विषय पर 4 दिसंबर, 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, 22 जनवरी, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 'एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा - स्केल-आधारित दृष्टिकोण' नामक एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, एनबीएफसी के लिए एक संशोधित नियामक ढांचा 22 अक्टूबर, 2021 को लागू किया गया था। संशोधित नियामक ढांचे में एनबीएफसी के लिए उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के अनुसार इसे लेयर पर आधारित संरचना में विभाजित किया गया है, और यह 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।

बृहत एक्स्पोज़र ढांचा (एलईएफ़) – ऋण जोखिम कम करना (सीआरएम)

VI.29 एक औपचारिक सीमा पार समाधान व्यवस्था के अभाव में, भारत में विदेशी बैंक की शाखाओं के संचालन को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य के लिए, विदेशी बैंक शाखाओं के एक्सपोजर के लिए उनके प्रधान कार्यालय (एचओ) पर बृहत एक्सपोजर ढांचा (एलईएफ) को लागू किया गया था। एलईएफ लागू करने के कारण ऐसे बैंकों पर अतिरिक्त पूंजी बोझ की समस्या का समाधान करने के लिए, 9 सितंबर, 2021 को विदेशी बैंक शाखाओं के लिए एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) प्रणाली पर निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार, कुछ शर्तों के अधीन एलईएफ़ सीमाओं की गणना करते समय विदेशी बैंक शाखाओं के एचओ (विदेशी शाखाओं सहित) के सकल जोखिम को सीआरएम के साथ समंजन की अनुमति दी थी। सीआरएम में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 (2) (बी) (i) के अंतर्गत धारित नकदी / भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं, जिनके स्रोत एचओ से ब्याज मुक्त निधियाँ अथवा भारतीय खाता पुस्तकों (आरक्षित निधियाँ) में प्रतिधारित विप्रेषणीय अधिशेष होने चाहिए। विदेशी बैंक शाखाओं को 1 अप्रैल, 2019 (बहुत पुराने) से पहले निष्पादित सभी व्युत्पन्न अनुबंधों को अपवर्जित करने, किन्तु एचओ पर व्युत्पन्न एक्सपोजर की गणना की अनुमति दी गई थी।

बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता

VI.30 उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को लागू करने के साथ-साथ उधारदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, बैंकों द्वारा नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट (सीसी / ओडी) और चालू / संग्रह खातों को खोलने के तरीके पर निर्देश 6 अगस्त, 2020 को जारी किए गए थे। 29 अक्टूबर, 2021 को संशोधित दिशानिर्देशों जारी किया गया था, जिसमें बैंकिंग प्रणाली का ₹5 करोड़ से कम एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं को बिना किसी प्रतिबंध के चालू खाते और सीसी / ओडी खाते खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, सीसी/ओडी सुविधा वाले उधारकर्ता को उन बैंकों में से किसी एक के साथ चालू खाते बनाए रखने की अनुमति है, जिनके साथ इसकी सीसी / ओडी सुविधा उपलब्ध है। अन्य ऋणदाता बैंकों को ऐसे ग्राहकों के लिए संग्रह खाते खोलने की अनुमति दी गई थी।

ऑनलाइन प्लेटफार्मों और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर कार्य दल की रिपोर्ट

VI.31 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उधार देने सहित डिजिटल लेंडिंग' पर कार्य दल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट 18 नवंबर, 2021 को सार्वजनिक डोमेन में रखी गई थी। यह विनियामक अंतरपणन का समाधान करते हुए प्रौद्योगिकी तटस्थता, सिद्धांत-समर्थित विनियमन के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक समग्र रोडमैप प्रदान करता है। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए) द्वारा तुलन पत्र ऋण को केवल रिज़र्व बैंक के आरई या विशेष रूप से ऋण व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी अन्य विधि के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं तक ही सीमित करना; (ii) अवैध डिजिटल उधार गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग विधान अधिनियमित करना; (iii) अभी खरीदें और बाद में चुकाएं (बीएनपीएल) को तुलन पत्र ऋण के भाग के रूप में लेना और पहली हानि डिफ़ॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) की पेशकश करने से अविनियमित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना; (iv) डिजिटल ऋण परितंत्र के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना; (v) डीएलए को सत्यापित करने और सभी सत्यापित ऐप्स का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (डिजिटा) की स्थापना; (vi) ऋण सर्विसिंग और पुनर्भुगतान अनिवार्य रूप से बैंक खाते/पूरी तरह से केवाईसी अनुपालित पूर्वदत्त लिखत (पीपीआई) खाते के माध्यम से करना; (vii) डीएलए के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी मानकों को अपनाना; (viii) स्पष्ट और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग; (ix) डेटा संग्रह के लिए सूचित और स्पष्ट सहमति; (x) मानकीकृत प्रारूप में ऋण के लिए प्रमुख तथ्य विवरण; (xi) धोखाधड़ी-रोधी ऋण नीति; और (xii) वसूली के लिए आचार संहिता। रिपोर्ट में कई हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई है। कार्यान्वयन ढांचे के लिए सरकार के साथ-साथ घनिष्ठ अंतर-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता होगी।

स्वर्ण धातु ऋण पर निर्देशों की समीक्षा

VI.32 स्वर्ण (धातु) ऋण (जीएमएल) नामित/नामित बैंकों द्वारा स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों या घरेलू विनिर्माताओं को प्रदान किया जाता है। अब तक, उधारकर्ताओं के पास बकाया ऋण चुकाने के लिए भौतिक सोने का उपयोग करने का कोई विकल्प नहीं था; क्योंकि उन्हें उधार लिए गए सोने के मूल्य के बराबर राशि केवल आईएनआर में चुकानी होती थी। इस संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी और बैंकों को अब उधारकर्ताओं को जीएमएल के एक हिस्से को भौतिक सोने में एक किलोग्राम या उससे अधिक के लॉट में चुकाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा, बशर्ते: जीएमएल स्थानीय रूप से प्राप्त किए गए / स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना (जीएमएस)-लिंक्ड सोने से दिया गया हो और पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला सोना निर्धारित मानकों के अनुरूप हो तथा बैंक को स्वीकार्य रिफाइनर या केंद्रीय एजेंसी द्वारा उधारकर्ता की ओर से, बिना उसकी भागीदारी के, स्वर्ण सीधे बैंक को सुपुर्द किया गया हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे उपर्युक्त पहलुओं को अपनी ऋण नीति में उपयुक्त रूप से शामिल करें और जीएमएल के अंतर्गत उधार दी गई निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करना जारी रखें।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना [एफ़सीएनआर (बी)] – लिबोर में बदलाव

VI.33 वित्तीय व्यवहार प्राधिकरण (एफसीए), यूके ने 31 दिसंबर, 2021 से प्रभावी लिबोर बेंचमार्क की समाप्ति की घोषणा की थी। वैश्विक स्तर पर, वित्तीय बाज़ार एसओएफ़आर (यूएसडी), एसओएनआईए (जीबीपी), टीओएनएआर (जेपीवाई), ईएसटीआर (यूरो) और एसओएनएआर (सीएचएफ़) जैसी वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) को लिबोर के स्थान पर नए बेंचमार्क के रूप में अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एआरआर संबंधित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रशासित/समर्थित हैं। लिबोर बेंचमार्क की आसन्न समाप्ति को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को एफसीएनआर (बी) जमाओं पर ब्याज दरों की पेशकश

करने की अनुमति देने के लिए मौजूदा अनुदेशों में संशोधन किया गया था, जिसमें ब्याज दरों की अधिकतम सीमा में 50 बीपीएस की वृद्धि के साथ व्यापक रूप से स्वीकृत 'संबंधित मुद्रा के लिए एक दिवसीय एआरआर' का उपयोग किया गया था।

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - बेंचमार्क दर

VI.34 दिसंबर 2021 के बाद बेंचमार्क दर के रूप में लिबोर के आसन्न समाप्ति को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को संबंधित मुद्रा में किसी भी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत एआरआर का उपयोग करके निर्यात ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।

व्युत्पन्नी संविदाओं की पुनर्रचना – लिबोर में पुनर्रचना

VI.35 व्युत्पन्न संविदाओं के लिए, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, मूल संविदा के किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन को पुनर्रचना के रूप में माना जाता है और पुनर्रचना की तिथि को संविदा के बाज़ार मूल्य में परिणामी परिवर्तन को नकद के माध्यम से निपटाना होगा। चूंकि लिबोर की तुलना में संदर्भ दर में परिवर्तन एक "अपरिहार्य" घटना है, सभी बैंकों को सूचना दी गई थी कि संदर्भ दर में लिबोर / लिबोर से संबंधित बेंचमार्क से एआरआर में परिवर्तन को पुनर्रचना के रूप में नहीं माना जाएगा।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के कामकाज की समीक्षा करने के लिए समिति की रिपोर्ट

VI.36 वित्तीय प्रणाली में अनर्जक आस्तियों की बहुत अधिक वृद्धि और एआरसी के कार्य-निष्पादन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने *अन्य बातों के साथ-साथ* एआरसी पर लागू मौजूदा विधिक और विनियामक ढांचे की समीक्षा करने और उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने, प्रतिभूति प्राप्तियों में चलनिधि को बेहतर करने और व्यापार में सुधार करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक बाहरी समिति (अध्यक्ष श्री सुदर्शन सेन, पूर्व कार्यपालक निदेशक, आरबीआई) का गठन किया था। समिति ने हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 2 नवंबर, 2021 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 'वित्तीय संस्थान' के रूप में आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) की अधिसूचना

VI.37 इससे पहले, जमानती ऋणों में प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के उद्देश्य से सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2 (1) (एम) (iv) के अंतर्गत न्यूनतम पर्यवेक्षी रेटिंग के अनुपालन जैसे कतिपय निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करने वाले एचएफसी को एकल इकाई के आधार पर 'वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचना जारी करने के लिए, अन्य प्राधिकरणों से कोई प्रतिकूलता नहीं -संबंधी रिपोर्ट *आदि,* लगाने की आवश्यकता थी। भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एचएफसी को वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के बाद राजपत्र अधिसूचना सं. 2002-2002 *के माध्यम से* 17 जून, 2021 को जारी एस.ओ. 2405 (ई) के द्वारा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की आस्ति आकार वाले सभी एचएफसी को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 'वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसलिए, एचएफसी की ऐसी अधिसूचना के लिए पहले से निर्धारित मानदंडों को वापस ले लिया गया था।

ट्रेड्स (TReDS) प्लेटफ़ॉर्म पर फैक्टरों के पंजीकरण और फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राप्य के समनुदेशन के पंजीकरण पर अधिसूचनाएं

VI.38 फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन के पश्चात, रिज़र्व बैंक ने फैक्टरिंग व्यवसाय से संबंधित प्रस्ताव देने वाली कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) जारी करने की पद्धति से संबंधित अपेक्षित विनियम जारी किए हैं। एनबीएफसी-फैक्टर के अलावा, 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) को कुछ शर्तों के अधीन फैक्टरिंग व्यवसाय की अनुमति दी गई है; और अन्य एनबीएफसी, एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने के पश्चात इसका व्यवसाय कर

सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने ट्रेड्स प्लेटफार्म के माध्यम से किए गए फैक्टरिंग लेन-देन के मामले में ट्रेड्स संस्थाओं द्वारा प्राप्य वस्तुओं के समनुदेशन का केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकरण किए जाने पर विनियम जारी किए हैं। इन उपायों से फैक्टरिंग लेन-देन करने के लिए पात्र संस्थाओं के दायरे में वृद्धि होने की उम्मीद है और इससे एमएसएमई को प्राप्त ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा पर चर्चा पत्र

VI.39 एससीबी द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर मौजूदा विनियामकीय निर्देश काफी हद तक अक्टूबर 2000 में शुरू किए गए एक ढांचे पर आधारित हैं, जो तत्कालीन प्रचलित वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है। निवेश के वर्गीकरण, मापन और मूल्यांकन पर वैश्विक मानकों में बाद के महत्वपूर्ण विकास, पूंजी पर्याप्तता ढांचे के साथ संबंधों के साथ-साथ घरेलू वित्तीय बाजारों में प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इन मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करते हुए एक चर्चा पत्र 14 जनवरी, 2022 को टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। चर्चा पत्र में निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया *है, अर्थात्*, हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा लाभ और हानि खाते (एफवीपीटीएल) के माध्यम से उचित मूल्य, जिसके भीतर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (एचएफटी) एक उप-श्रेणी होगी। इसमें अन्य *बातों के साथ-साथ*, अप्राप्त लाभों और हानियों की सममित मान्यता का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विनियामक पूंजी पर विवेकपूर्ण फिल्टर के माध्यम से समाधान करते हुए इस तरह की मान्यता संबंधी समस्याओं और बढ़े हुए प्रकटीकरण द्वारा पूरक लाभांश वितरण, पर चिंताएं शामिल हैं।

एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश की घोषणा

VI.40 बैंकों के विपरीत, एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश के वितरण के संबंध में वर्तमान में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। वित्तीय प्रणाली में एनबीएफ़सी के बढ़ते महत्व और वित्तीय बाज़ार के अन्य क्षेत्रों के साथ उनके अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश वितरण पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 'एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश की घोषणा' पर 9 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिपुष्टी के आधार पर, 24 जून, 2021 के परिपत्र *के माध्यम से* अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए।

निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफ़आर) दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

VI.41 'चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)' से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश 17 मई, 2018 को जारी किए गए थे और 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होने वाले थे। हालांकि, कोविड-19 से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण, इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर, 2021 तक क्रमिक रूप से स्थगित कर दिया गया था। तदनुसार, एनएसएफआर संबंधी दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी हो गए हैं।

चलनिधि मानकों के तहत लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए प्रारंभिक सीमा की समीक्षा

VI.42 रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति (बीसीबीएस) मानक के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने और बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम के बेहतर प्रबंधन हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए, गैर-वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के रखरखाव के उद्देश्य से, जमाराशि और अन्य निधियों के विस्तार की प्रारंभिक सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ किया गया।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा छत्र संगठन (यूओ) में निवेश

VI.43 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा यूसीबी क्षेत्र के यूओ की पूंजी में निवेश की सुविधा के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि यूसीबी द्वारा यूओ में निवेश को, गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं से छूट दी जाएगी।

धारणीय वित्त समूह से संबंधित गतिविधियाँ

VI.44 मई 2021 में, रिज़र्व बैंक ने विनियमन विभाग में एक धारणीय वित्त समूह (एसएफजी) की स्थापना की, जिसको जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त के क्षेत्र में विनियामक पहल एवं प्रयास करने का कार्य सौंपा गया। धारणीय वित्त समूह, जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। इसके अलावा, यह समूह रणनीतिक सुझाव देने और उचित प्रकटीकरण के साथ विनियामक ढांचा विकसित करने में सहायक होगा, जिसको, भारत में जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने और धारणीय प्रथाओं का प्रसार करने हेतु बैंकों एवं अन्य विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विहित किया जा सकता है।

VI.45 धारणीय वित्त समूह, द्विपक्षीय भारत-यूके धारणीय वित्त फोरम में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे 2020 में भारत और यूके के बीच धारणीय वित्त पर गहन सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। यह जी 20 धारणीय वित्त कार्य दल, धारणीय वित्त के अंतरराष्ट्रीय मंच, जलवायु जोखिम पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के कार्य दल और जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण के कार्य दल, में भी रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। रिज़र्व बैंक बीसीबीएस द्वारा स्थापित जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर कार्य दल का भी सदस्य है।

VI.46 रिज़र्व बैंक को 28 अक्तूबर 2021 को वर्ल्ड-वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा प्रकाशित पहली धारणीय विनियमन वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ, अधिक टिकाऊ वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए केंद्रीय बैंक तेजी से कदम उठा रहे हैं।

VI.47 जलवायु जोखिम के प्रबंधन में विनियमित संस्थाओं की प्रगति का आकलन करने और अपनी कारोबारी कार्य-नीतियों, अभिशासन और जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों को शामिल करने के लिए उन्हें (वि.सं.) सचेत करने हेतु, रिज़र्व बैंक एक परामर्शदात्री चर्चा-पत्र तैयार कर रहा है। सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, बैंकों को जलवायु जोखिमों के प्रति दूरंदेशी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का निदेश दिया जाएगा। जनवरी 2022 के दौरान, एसएफजी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत स्थित प्रमुख विदेशी बैंकों के बीच जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त के संबंध में एक सर्वेक्षण भी किया है। सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिसूचना से जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त के प्रति रिज़र्व बैंक का विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ उसी के अनुरूप क्षमता निर्मित करने एवं जागरूकता हेतु उपाय तैयार करने में मदद मिलेगी।

'आवधिक केवाईसी अद्यतन' प्रक्रिया को सरल बनाना

VI.48 विनियमित संस्थाओं द्वारा अपने 'ग्राहक को जानें' (केवाईसी) सूचना का आवधिक अद्यतनीकरण - उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और निम्न जोखिम वाले ग्राहकों के लिए, क्रमशः 2 साल, 8 साल और 10 साल में - न्यूनतम एक बार किया जाना है। 25 फरवरी 2016 को जारी केवाईसी से संबंधित मास्टर निदेश में 10 मई 2021 को संशोधन के माध्यम से इस प्रक्रिया को काफी हद तक सरल बना दिया गया है। उदाहरण के लिए, केवाईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, ग्राहक द्वारा एक स्वयं-घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है। यह स्वयं-घोषणा ग्राहक के ईमेल, मोबाइल, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग/ इंटरनेट बैंकिंग और विनियमित संस्थाओं के मोबाइल एप्लिकेशन, जैसे डिजिटल माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर प्रस्तुत की जा सकती है। केवाईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में इस स्वयं-घोषणा प्रावधान को व्यक्तिगत ग्राहकों की तरह कानूनी संस्थाओं (एलई) के लिए भी लागू किया गया है। इसके अलावा, व्यक्तिगत ग्राहक के केवल पता विवरण संबंधी परिवर्तन के मामले में, नया पता की स्वयं-घोषणा की अनुमति दी गई है। घोषित पता को दो महीने के भीतर, विनियमित संस्थाओं द्वारा, पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु

सत्यापन, आदि तरीकों से सकारात्मक पुष्टि कर सत्यापित किया जाना है। कुछ अतिरिक्त उपाय शुरू किए गए हैं, जैसे- (i) केवाईसी के आवधिक अद्यतन के समय मौजूद पैन नंबर का सत्यापन; (ii) पुराने दस्तावेजों के आधार पर खोले गए पुराने खातों का, वर्तमान धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियमों के अनुसार, मौजूदा नियमों में स्थानांतरण; (iii) केवाईसी दस्तावेज (या स्वयं-घोषणा) जमा लेते समय और अपने रिकॉर्ड में केवाईसी दस्तावेजों के अद्यतन के बाद, विनियमित संस्थान ग्राहकों को सूचना प्रदान करेंगे; और (iv) विनियमित संस्थाओं को, किसी भी शाखा में केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करने का निदेश दिया गया है। विनियमित संस्थाओं के लिए केवाईसी के आवधिक अद्यतन हेतु जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य किया गया है। इसलिए, विनियमित संस्थाओं द्वारा, उपर्युक्त के अलावा किसी भी अतिरिक्त उपाय को, अपनी आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा, जिसे निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी भी समिति - जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है - द्वारा विधिवत अनुमोदित किया हो। उपर्युक्त के अलावा, केवाईसी के आवधिक अद्यतन के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) आरंभ की गई है।

VI.49 ये सरल उपाय न केवल ग्राहकों को केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सहायक होंगे, बल्कि विनियमित संस्थाओं को भी केवाईसी रिकॉर्ड को समय पर अद्यतन करने में सक्षम बनाएंगे।

बैंकेतर संस्थाओं को आधार ई-केवाईसी अधिप्रमाणन लाइसेंस

VI.50 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों से इतर संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग कर ग्राहक के *आधार* नंबर के अधिप्रमाणन की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अधिसूचना यूआईडीएआई और उपयुक्त विनियामक के परामर्श के बाद ही जारी की जाएगी।

VI.51 तदनुसार,13 सितंबर 2021 के परिपत्र के माध्यम से, रिज़र्व बैंक ने, यूआईडीएआई द्वारा जारी, *आधार* अधिप्रमाणन लाइसेंस- केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस या उप-केयूए लाइसेंस (केयूए के माध्यम से अधिप्रमाणन हेतु), प्राप्त करने के इच्छुक सभी एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को, सक्षम बनाया कि वे विनियमन विभाग को अपना आवेदन प्रस्तुत करें ताकि समुचित जाँच के बाद उसे यूआईडीएआई को प्रस्तुत किया जा सके।

भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा हेतु आंतरिक कार्य दल की सिफारिशें

VI.52 भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए 12 जून 2020 को गठित एक आंतरिक कार्य दल ने 33 सिफारिशें की हैं। रिज़र्व बैंक ने 21 सिफारिशों (कुछ आंशिक संशोधनों के साथ) को स्वीकार कर लिया है, जिसमें - प्रवर्तक की धारिता को पेड-अप वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिशें, प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की गिरवी की रिपोर्टिंग, नए बैंक लाइसेंस के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता को बढ़ाना, भविष्य में स्थापित किए जाने वाले लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए सूचीबद्धता मानदंडों में ढील देना - शामिल हैं। शेष 12 सिफारिशों की जांच की जा रही है। इस संबंध में एक प्रेस प्रकाशनी 26 नवंबर 2021 को जारी की गई थी।

बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन, दिनांक 26 अप्रैल 2021

VI.53 वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन के ढांचे की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जून 2020 को 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' पर एक चर्चा-पत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर ढाँचे की व्यापक समीक्षा की गई है और अभिशासन पर एक मास्टर निदेश यथासमय जारी किया जाएगा। अंतरिम तौर पर, इस तरह की प्रतिसूचना के

माध्यम से प्राप्त कुछ परिचालन पहलुओं को ठीक करने के लिए - बोर्ड की अध्यक्षता और बैठकें, बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना, निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक, एवं पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति (डब्ल्यूटीडी) - के संबंध में 26 अप्रैल 2021 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ गंभीर जोखिम लेने वालों और नियंत्रण-कार्य स्टाफ के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश – स्पष्टीकरण, दिनांक 30 अगस्त 2021

VI.54 30 अगस्त 2021 को, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली लेखा अवधि के बाद प्रदान किए गए, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं (ईएसओपी) सहित शेयर से जुड़े लिखत के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जिसमें यह सूचना दी गई थी कि ऐसे लिखतों के उचित मूल्य को - लेखा अवधि, जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, की शुरुआत से - व्यय रूप माना जाए।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 में संशोधन

VI.55 स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015, दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के मास्टर निदेश में, नामित बैंकों के लिए - जीएमएस के तहत मध्यम और लंबी अवधि के सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) की जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में लॉक-इन अवधि के पहले/ बाद में समय-पूर्व बंदी की स्थिति में और एमएलटीजीडी प्रमाण पत्र के विरुद्ध लिए गए ऋण में चूक के मामले में भी - ब्याज के परिकलन हेतु कोई विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। मास्टर निदेशों में अपेक्षित संशोधन 28 अक्टूबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से किए गए, जिसमें जमाराशि की वास्तविक अवधि (विभिन्न समय बकेट में विभाजित) के आधार पर लागू ब्याज दरों का विवरण शामिल किया गया। समयपूर्व-बंद प्रकृति के होने के कारण, लागू ब्याज दरें सामान्य समय में एमएलटीजीडी जमा पर लागू ब्याज दरों से कम हैं। फिर भी, मृत्यु के कारण समयपूर्व बंदी के मामले में लागू ब्याज दर, ऋण चूक के कारण समयपूर्व बंदी की तुलना में, 0.125 प्रतिशत उच्च है।

एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वीज़ (एक्सबीआरएल) लाइव साइट पर फॉर्म IX जमा करना

VI.56 फॉर्म IX विवरणी (दावारहित जमाराशि पर) प्रस्तुतीकरण दक्षता में सुधार हेतु, 31 दिसंबर 2021 से फॉर्म IX विवरणी की हार्ड कॉपी / पेपर जमा करना जरूरी नहीं है। तदनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक के एक अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए एक्सबीआरएल लाइव साइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपर्युक्त विवरणी प्रस्तुत करें।

बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली, सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा से संबंधित संशोधित निर्देश

VI.57 बैंकों द्वारा, सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा प्रदान करने संबंधी अनुदेशों को जनहित में 18 अगस्त 2021 को संशोधित किया गया है। ये संशोधन, मुख्य रूप से रक्षा/ सुरक्षा पहलुओं में वृद्धि, एक मानक लॉकर करार की आवश्यकता और बैंकों की वेबसाइटों पर नियमों और शर्तों के प्रकटीकरण, से संबंधित हैं। संशोधित अनुदेश, बैंकों के पास नए और मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा दोनों पर, 1 जनवरी 2022 (जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है) से लागू हुए हैं। बैंकों को मौजूदा ग्राहकों के साथ अपने लॉकर करार को नवीकृत करने के लिए 1 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

VI.58 सहकारी क्षेत्र में बढ़ती जटिलताओं और उनके आकार और कारोबारी दायरे में वृद्धि के कारण, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) अपने परिचालन में विविध और अधिक

जोखिम का सामना करते हैं। तदनुसार, ₹5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को, 25 जून 2021 के परिपत्र के माध्यम से, एक मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने हेतु सूचित किया गया है। उन्हें, जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर जरूरी स्तर पर ध्यान देने के लिए, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति गठित करने को कहा गया है।

राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का समामेलन

VI.59 रिज़र्व बैंक ने 24 मई 2021 को, बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949- यथा संशोधित बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39), की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए के प्रावधानों के तहत डीसीसीबी का एसटीसीबी के साथ स्वैच्छिक समामेलन पर एक परिपत्र जारी किया था। यह परिपत्र, संशोधित सांविधिक प्रावधानों और एसटीसीबी के साथ डीसीसीबी के समामेलन के लिए प्रक्रिया/ सांकेतिक बेंचमार्क में परिणामी परिवर्तन, की जानकारी प्रदान करने हेतु जारी किया गया था।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति

VI.60 यूसीबी में एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति पर रिज़र्व बैंक द्वारा 25 जून 2021 को एक परिपत्र जारी किया गया था। इस परिपत्र में, यूसीबी में एमडी/डब्ल्यूटीडी के पद के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड आदि निर्धारित किए गए हैं। इस परिपत्र में, शहरी सहकारी बैंकों को, एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति/सेवा-समाप्ति के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति (और उसकी प्रक्रिया), लेने को भी सूचित किया गया है। यह परिपत्र, शहरी सहकारी बैंकों में अभिशासन मानकों को बढ़ाने और बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जारी किया गया था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत विवरणी प्रस्तुत करना – समय-सीमा का विस्तार

VI.61 कोविड-19 महामारी के कारण सहकारी बैंकों (अर्थात, शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों) के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 [सहकारी समितियों (एएसीएस) के लिए यथा लागू] की धारा 31 के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा को तीन महीने यानी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था।

सहकारी समितियों द्वारा "बैंक/बैंकर/बैंकिंग" शब्द के प्रयोग पर जनता को चेतावनी सूचना

VI.62 जनता को 22 नवंबर 2021 की एक प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आगाह किया गया था कि कुछ सहकारी समितियां "बैंक" शब्द का प्रयोग कर रही हैं जो बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है और वे, गैर-सदस्य/ नाममात्र के सदस्य/सह सदस्य से जमाराशि भी स्वीकार कर रही हैं, जो बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन कर बैंकिंग कारोबार करने जैसा है। बीआर अधिनियम, 1949 को बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था, जिससे सहकारी समितियाँ अपने नाम के हिस्से के रूप में "बैंक", "बैंकर", या "बैंकिंग" शब्द का प्रयोग - बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों या रिज़र्व बैंक की अनुमति के अलावा - करने के लिए अयोग्य हो गईं थीं। तदनुसार, यह अधिसूचित किया गया था कि ऐसी समितियों को न तो बीआर अधिनियम, 1949 के तहत कोई लाइसेंस जारी किया गया है और न ही उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है। इन समितियों में रखी गई जमाराशि के लिए निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) का बीमा कवर भी उपलब्ध नहीं है। यह सलाह दी गई थी कि यदि ऐसी सहकारी समितियां बैंक होने का दावा करती हैं तो सावधानी बरतें और समुचित जाँच-परख करें और उनके साथ कारोबार करने से पहले रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकिंग लाइसेंस देखें।

VI.63 राज्य सरकारों को भी बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के बारे में सूचित किया गया था। उनसे अनुरोध किया गया था कि राज्य के भीतर ऐसे संस्थान जो अपने नाम के हिस्से के रूप में या अपने कारोबार के संबंध में "बैंक", "बैंकर" या

"बैंकिंग" शब्द का प्रयोग करते हैं, को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ/कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा गैर-सदस्यों/नाममात्र के सदस्यों/सह सदस्यों से जमाराशि स्वीकार नहीं की जाती है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत एनबीएफसी का समाधान

VI.64 दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के समाधान को पूरा करना: नवंबर 2019 में डीएचएफएल के निदेशक मंडल के अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति के बाद, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2019 में डीएचएफएल के विरुद्ध आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की थी। जून 2021 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा पिरामल समूह की समाधान योजना की मंजूरी के साथ, समाधान प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हो गई है।

VI.65 एसआरईआई समूह की दो एनबीएफ़सी [एसआरईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स लिमिटेड (एसआईएफ़एल) और एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनैन्स लिमिटेड (एसईएफ़एल)] की समाधान प्रक्रिया शुरू करना: गंभीर पर्यवेक्षी चिंताओं और ऋणदाताओं को अदा करने में चूक के कारण, रिज़र्व बैंक ने एसआईएफ़एल और एसईएफ़एल के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया। 4 अक्टूबर, 2021 को अधिक्रमण और प्रशासक के नियुक्ति के बाद, आईबीसी, 2016 और दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और अधिनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के तहत सीआईआरपी शुरू करने संबंधी आवेदनों को एनसीएलटी, कोलकाता द्वारा 8 अक्टूबर, 2021 को स्वीकार किया गया। इसके बाद, प्रशासक ने लेनदारों की एकीकृत समिति (सीओसी) के तहत एनसीएलटी के पास सामूहिक दिवाला के लिए आवेदन किया। एनसीएलटी, कोलकाता ने फरवरी 2022 में उक्त आवेदन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, सीआईआरपी आईबीसी, 2016 और संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाई की जा रही है।

VI.66 रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) की समाधान प्रक्रिया की शुरुआत: भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण, सार्वजनिक हित में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर, 2021 को आरसीएल के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया और एक प्रशासक नियुक्त किया। इसके पश्चात, आईबीसी, 2016 और दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और अधिनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के तहत आरसीएल के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन को एनसीएलटी, मुंबई द्वारा 6 दिसंबर, 2021 को स्वीकार कर लिया गया। वर्तमान में, सीआईआरपी आईबीसी, 2016 और संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन

VI.67 भारत सरकार ने 13 अगस्त 2021 को डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है। संशोधित अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, डीआईसीजीसी, बैंक को प्रतिबंधों के तहत रखने के 90 दिनों के भीतर, बकाया जमाराशियों की बराबर राशि (अधिकतम ₹5 लाख तक) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि रिज़र्व बैंक, बीमाकृत बैंक का किसी अन्य बैंकिंग संस्थान के साथ समामेलन की योजना या समझौता योजना या व्यवस्था या पुनर्निर्माण की योजना, को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसकी सूचना डीआईसीजीसी को दी जाती है, तो चुकौती की तारीख अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है (बॉक्स VI.5 भी देखें)|

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (पीएमसी बैंक लिमिटेड) का समाधान

VI.68 पीएमसी बैंक लिमिटेड को, 3 नवंबर 2020 की रुचि प्रस्ताव (ईओआई) के जवाब में, इसके पुनर्निर्माण के लिए निवेशकों से बाध्यकारी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

(सीएफएसएल) के साथ-साथ रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया व्यवहार्य पाया गया था। तदनुसार, ईओआई के जवाब में 1 फरवरी 2021 के उनके प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने 18 जून 2021 को, निजी क्षेत्र में एसएफबी के 'सदा सुलभ' लाइसेंस हेतु 5 दिसंबर 2019 के अपने सामान्य दिशानिर्देशों के तहत, सीएफएसएल को एक एसएफबी स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" मंजूरी दी, जो 120 दिनों के लिए वैध है। इसके बाद, प्रवर्तक के रूप में सीएफएसएल के साथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी) को 12 अक्तूबर 2021 को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया, जिसने 1 नवंबर 2021 से अपना परिचालन शुरू किया। रिज़र्व बैंक ने 22 नवंबर 2021 को सार्वजनिक रूप से, यूएसएफबी के साथ पीएमसी बैंक के समामेलन की एक मसौदा योजना, रखी जिसमें सदस्यों, जमाकर्ताओं और अंतरणकर्ता बैंक (पीएमसी बैंक लिमिटेड) और अंतरिती बैंक (यूएसएफबी) के अन्य लेनदारों से सुझाव आमंत्रित किए गए। इस योजना को बीआर अधिनियम की धारा 45 के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और अधिसूचित किया गया था। इस समामेलन की प्रभावी तिथि 25 जनवरी 2022 है।

सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए विनियामक ढांचा

VI.69 सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा 14 मार्च 2022 को जारी किया गया, जिसमें रिज़र्व बैंक द्वारा सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाए गए हैं। यह ढांचा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन पेश करता है। इसका उद्देश्य, छोटे उधारकर्ताओं की अति ऋणग्रस्तता संबंधी चिंताओं को दूर करना और ग्राहक सुरक्षा उपायों को बढ़ाना, है। यह ढांचा, उधारकर्ताओं को सूचना-संपन्न निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाकर, प्रतिस्पर्धी ताकतों को इस लायक बनाता है कि वे ब्याज दरें कम कर सकें (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1
सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए विनियामक ढांचा

मालेगाम समिति[1] की सिफारिशों के आधार पर, एनबीएफसी-एमएफआई के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा, 2011 में जारी किया गया था। इस ढांचे में, अन्य बातों के साथ, सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए कुछ ग्राहक सुरक्षा उपाय शामिल किए गए थे, जैसे कि - अधिकतम ऋण राशि और उधारदाताओं की संख्या पर सीमा, संपार्श्विक के बिना ऋण, कोई पूर्व-भुगतान दंड नहीं, चुकौती आवधिकता में लचीलापन, ब्याज दरों पर विनियामक सीमा, आदि। पिछले कुछ वर्षों में, कुछ बड़े एनबीएफसी-एमएफआई का बैंकों के साथ/ में रूपांतरण/ विलय के कारण सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के परिदृश्य में खास बदलाव आया है। नतीजतन, समग्र सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एनबीएफसी-एमएफआई की हिस्सेदारी अब घटकर 35 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू ग्राहक सुरक्षा उपाय अन्य उधारदाताओं पर लागू नहीं हैं जो समान उधारकर्ताओं को सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करते हैं।

इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों को प्रतिसूचना के लिए 14 जून 2021 को 'सूक्ष्म वित्त विनियमन' पर एक परामर्शी दस्तावेज जारी किया था। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर, सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू, एक व्यापक नियामक ढांचा, 14 मार्च 2022 को जारी किया गया। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन शुरू करने के अलावा, इस ढांचे का उद्देश्य, सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं का ऋणभार कम करना, ग्राहक सुरक्षा उपाय बढ़ाना, प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाना और सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता की ऋण आवश्यकताओं को व्यापक रूप से पूरा करने हेतु विनियमित संस्थाओं को लचीलापन प्रदान करना, है।

सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं का ऋणभार कम करना

सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं की अति ऋणग्रस्तता संबंधी चिंताओं को दूर करने हेतु, सभी विनियमित संस्थाओं के लिए 'सूक्ष्म वित्त ऋण' की एक सामान्य परिभाषा - ₹3,00,000 तक की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवार को दिया गया संपार्श्विक-रहित ऋण - लक्षित उधारकर्ता-समूह की सटीक पहचान हेतु स्थापित की गई है। इसके अलावा, परिवार की ऋण चुकौती को घरेलू आय के 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है, इस प्रकार

(जारी)

[1] आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संकट के कारण, श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की समस्याओं और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए, अक्तूबर 2010 में रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की उपसमिति गठित की गई थी। यह रिपोर्ट 19 जनवरी 2011 को रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

पात्र ऋण राशि को उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता से जोड़ा गया है। छोटे कर्जदारों को चुकौती क्षमता से अधिक ऋण देने के खतरों से बचाने के साथ-साथ, इन उपायों से, कर्जदाताओं द्वारा अपने कारोबार का भौगोलिक विस्तार करने और इस प्रकार वित्तीय समावेश में बढ़ोतरी, की उम्मीद है।

ग्राहक सुरक्षा उपायों में वृद्धि

उधारकर्ताओं को, जबरन वसूली प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु, इस ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अपेक्षित है: चुकौती की कठिनाइयों का सामना कर रहे उधारकर्ताओं के साथ संवाद के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा एक तंत्र, कठोर वसूली प्रथाओं पर प्रतिबंध, एक निर्दिष्ट/केंद्रीय निर्दिष्ट स्थान पर वसूली जिसका निर्णय उधारकर्ता और विनियमित संस्थाओं द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाए, वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए समुचित सावधानी प्रक्रिया और वसूली संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष तंत्र। इसके अलावा, कुछ ग्राहक सुरक्षा उपाय, जो केवल एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू होते हैं, जैसे कि - कोई पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं, संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं और सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए चुकौती आवधिकता में लचीलापन, को सभी विनियमित संस्थाओं के लिए लागू कर दिया गया है।

सूक्ष्म वित्त ऋणों का कीमत-निर्धारण

सूक्ष्म वित्त ऋणों के कीमत-निर्धारण पर एक मानकीकृत और सरल तथ्यपत्र पेश किया गया है, ताकि उधारकर्ताओं की कीमत-संवेदनशीलता बढ़े और वे सचेत निर्णय ले सकें। प्रभावी वार्षिक ब्याज दर की गणना के लिए एक समान पद्धति भी निर्धारित की गई है ताकि सभी उधारदाताओं में तुलनीयता बनायी रखी जा सके। इसके अलावा, सभी विनियमित संस्थाओं को, उनके द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम, अधिकतम और औसत ब्याज दरों को प्रदर्शित करना आवश्यक है। ये विशिष्ट उपाय, अन्य उपायों के पूरक हैं, जैसे- कोई पूर्व-भुगतान दंड नहीं (उधारकर्ताओं को ऋणदाताओं के बीच स्विच करने का विकल्प प्रदान करने के लिए), परिवार की आय के प्रतिशत के रूप में चुकौती दायित्वों पर उच्चतम-सीमा निर्धारण (इस प्रकार, किश्तों को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए ऋणदाताओं को कम ब्याज दरों के लिए प्रेरित करना), उधारकर्ताओं की अति-ऋणग्रस्तता पर नियंत्रण रखना (इस प्रकार उनके ऋण जोखिम प्रीमियम को कम करना, उधारदाताओं को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और नए क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करना एवं कम-प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना), एनबीएफसी-एमएफआई के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम सीमा - निवल आस्तियों का 85 प्रतिशत से कुल आस्तियों का 75 प्रतिशत - तक कम करना (इस प्रकार उनका संकेंद्रण जोखिम और फलत: निधि की लागत कम करना) और एनबीएफसी-एमएफआई से इतर एनबीएफसी के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की अधिकतम सीमा - कुल आस्तियों का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाना (इस प्रकार प्रतिस्पर्धा बढ़ाना)। इन उपायों से सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में कीमत प्रतिस्पर्धा और ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है।

उत्पादों / सेवाओं को तौयार करने में लचीलापन

एनबीएफसी-एमएफआई के सुक्ष्म वित्त ऋणों के लिए कुछ उत्पाद विशेष अपेक्षाएँ, जैसे- ऋण राशि पर सीमा (पहले चक्र में, ₹75,000 की उप-सीमा के साथ ₹1,25,000 की कुल सीमा), ऋण की अवधि (₹ 30,000 से अधिक के ऋण के लिए 24 महीने की न्यूनतम अवधि), ऋण का उद्देश्य (ऋण का न्यूनतम 50 प्रतिशत आय-सृजन गतिविधियों के लिए) - वापस ले ली गई हैं। इससे, एनबीएफसी-एमएफआई को सुक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं की जरूरतों को व्यापक तरीके से पूरा करने हेतु अपने उत्पादों और सेवाओं को आवश्यकतानुसार बदलने में, सुविधा मिलेगी।

स्रोत: आरबीआई।

पुनर्पूंजीकरण बॉण्डों में बैंकों के निवेश का उचित मूल्यांकन

VI.70 वर्तमान में, एचटीएम पोर्टफोलियो के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन, अधिग्रहण लागत पर किया जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि ऐसे लिखतों का अधिग्रहण इसके अधिग्रहण के समय प्रतिभूति के उचित मूल्य पर होगा। तदनुसार, 31 मार्च 2022 के परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 2021-22 से बैंकों की पुनर्पूंजीकरण आवश्यकता हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश की, एचटीएम में प्रारंभिक निर्धारण, उचित मूल्य/ बाज़ार मूल्य पर निर्धारित की जाएगी। ऊपर बताए अनुसार प्राप्त, अधिग्रहण लागत और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को लाभ और हानि लेखा में तुरंत निर्धारण किया जाएगा।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.71 विभाग, आने वाले वर्ष में, निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- बेसल III मानकों के साथ अभिसरण और क्रेडिट जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी करना;
- प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि दृष्टिकोण पर चर्चा-पत्र जारी करना;

- अनर्जक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देश जारी करना;
- जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर चर्चा-पत्र जारी करना;
- डिजिटल ऋण से संबंधित विवेकपूर्ण और आचरण से जुड़े विषयों पर दिशानिर्देश जारी करना;
- वित्तीय विवरणियों पर दिशानिर्देश जारी करना - ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण;
- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी निधि जुटाने पर दिशानिर्देशों का भाग II जारी करना;
- परिचालन जोखिम और परिचालन सुदृढ़ता, के मज़बूत प्रबंधन के सिद्धांतों पर मार्गदर्शन नोट; और
- निम्नलिखित दिशानिर्देशों की समीक्षा: (ए) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा; (बी) विवेकपूर्ण ढांचे के साथ संरेखित करके कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं का पुनर्गठन; (सी) शहरी सहकारी बैंकों के लिए निवेश हेतु दिशानिर्देश और वित्तीय विवरणी प्ररूप; (डी) वाणिज्यिक बैंकों की लाभांश घोषणा नीति; (ई) वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि प्रबंधन ढांचा; (एफ) लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा; (जी) क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर निर्देश; (एच) निष्क्रिय खातों पर निर्देश, निष्क्रिय/ अदावी जमा खातों पर डेटा की केंद्रीकृत होस्टिंग; और (आई) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और इन सिफारिशों के आधार पर विनियामक निर्देश जारी करने के लिए कदम उठाना।

फिनटेक विभाग

VI.72 फिनटेक प्रभाग[2], जो जुलाई 2020 से भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) के अधीन काम कर रहा था, को अब 4 जनवरी 2022 से एक पूर्ण विभाग बना दिया गया है, ताकि वह इस क्षेत्र में अधिक ध्यान केंद्रित कर सके और फिनटेक क्षेत्र में नवोन्मेष को बल मिले (बॉक्स VI. 2)। विभाग, न केवल इस क्षेत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा देगा, बल्कि चुनौतियों और उनसे जुड़े अवसरों की पहचान भी करेगा और समय पर उनका निपटान करेगा। विभाग इस विषय पर आगे के अनुसंधान के लिए एक ढांचा भी प्रदान करेगा जो रिज़र्व बैंक के नीतिगत हस्तक्षेप में सहायक हो सकता है। तदनुसार, फिनटेक क्षेत्र में रचनात्मक नवाचार और नवोन्मेष के प्रोत्साहन से संबंधित सभी मामले, जिनका वित्तीय क्षेत्र/ बाजारों पर व्यापक असर हो सकता है और जो रिज़र्व बैंक के कार्य-क्षेत्र में भी आते हैं, की जाँच इस विभाग द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, फिनटेक पर अंतर-विनियामक समन्वय और अंतरराष्ट्रीय समन्वय से संबंधित मुद्दे भी इस विभाग के कार्यक्षेत्र में आएंगे।

प्रमुख पहल

विनियामक सैंडबॉक्स - समूह (उत्कर्ष)

VI.73 "खुदरा भुगतान" पर विनियामक सैंडबॉक्स के पहले समूह के तहत, नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी), ध्वनि तरंगों और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) जैसी प्रौद्योगिकियों को शामिल करने वाले उत्पाद और सेवाओं का परीक्षण किया गया। सभी छः उत्पाद परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर साध्य पाए गए। 'सीमा पार से भुगतान' विषय के दूसरे समूह के तहत, आठ संस्थाओं का परीक्षण किया गया। अक्तूबर 2021 में 'एमएसएमई उधार' विषय के साथ तीसरे समूह की शुरुआत की गई। चौथे समूह के लिए विषय- 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन' की घोषणा

[2] फिनटेक से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए रिज़र्व बैंक में संपर्क के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करने हेतु जून 2018 में विनियमन विभाग (डीओआर) में फिनटेक यूनिट की स्थापना की गई थी।

बॉक्स VI.2

फिनटेक नवोन्मेष को सुगम बनाना: रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

पिछले दशक में प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के कारण, पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र की संरचना और कामकाज के तरीके में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। फिनटेक ने अपनी उत्पाद संरचना, बैक-एंड एनालिटिक्स, सेवाओं की आपूर्ति, आदि के तरीकों से, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र में, बाधाएँ उत्पन्न की है। जैसा कि अपेक्षित है, इस तरह के नवोन्मेष पहले बाज़ार को परेशान करते हैं और जब एक बार अपनी रचनात्मक भूमिका स्थापित कर लेते हैं तो विनियामक और प्राधिकरण, नवोन्मेष को सतत पोषित करने और संबद्ध जोखिमों को कम करने के लिए इसे विनियमित करते हैं। नवोन्मेष भले ही अविनियमित होकर मुक्त विकास का दावा करते हैं परंतु, किसी क्षेत्र की सतत संवृद्धि के लिए नियमों, विनियमों/ विधियों की आवश्यकता होती है।

समष्टि (वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा) और व्यष्टि (उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेश) दोनों स्तरों पर फिनटेक क्षेत्रक के बढ़ते प्रभाव के कारण, फिनटेक स्पेस में विनियामक आदेश लाने के अलावा नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाना जरुरी हो जाता है। इस तरह के नवोन्मेष को विनियमन के साथ संतुलित करना, रिज़र्व बैंक का सूक्ष्म दृष्टिकोण रहा है और यह बाज़ार के विकास के साथ-साथ सचेत रूप से विकसित हो रहा है।

इस क्षेत्र के नये घटनाक्रमों से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने नवोन्मेष सुगमकर्ता की प्राथमिक भूमिका के रूप में भी सचेत प्रयास किए हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा फिनटेक के प्रत्यक्ष विनियमन के कुछ उदाहरण - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर (एनबीएफसी-पी 2 पी) प्लेटफॉर्म, अकाउंट एग्रीगेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म आदि हैं। डिजिटल उधार पर कार्य-दल की नवीनतम रिपोर्ट (18 नवंबर 2021) डिजिटल स्पेस के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा निर्माण का एक और प्रयास है।

रिज़र्व बैंक ने अपने प्रयास,जैसे - विनियामक सैंडबॉक्स, रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र की स्थापना, हैकाथॉन, आदि के माध्यम से गैर-पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग की भूमिका का निर्वहन भी किया है। अपनी पहल पर ध्यान केंद्रित करने और बदलते वित्तीय परिदृश्य में उभरती समस्याओं से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने फिनटेक विभाग की स्थापना की है। फिनटेक क्षेत्र में, रचनात्मक नवाचार और नवोन्मेष की सुविधा से संबंधित सभी समस्याओं के लिए एकल संपर्क-बिंदु होने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना सरल होगा।

केंद्रीय बैंक, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करते हुए, फिनटेक क्षेत्र में उभरते जोखिमों पर भी समानांतर रूप से ध्यान दे रहा है। प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ बढ़ाता है। इसके अलावा, बीएफएसआई सेगमेंट में दिग्गज तकनीकी कंपनियों की भागीदारी प्रणालीगत जोखिम भी लाती है। उपर्युक्त सभी का वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ता है। रिज़र्व बैंक का कार्य, वित्तीय सेवा उद्योग में उपयोगी एप्लिकेशनों की बहुलता के बीच फिनटेक को प्रोत्साहन देते हुए, प्रौद्योगिकी और फ्रेमवर्क (ढांचे) के सावधानीपूर्वक चयन के माध्यम से, ऐसे जोखिमों को कम करना है।

उपर्युक्त मुद्दों से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण जोखिम प्रबंधन के किसी भी सिद्धांत से समझौता किए बिना, विनियमन और नवोन्मेष के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।

स्रोत: आरबीआई।

की गई। बंद समूह के विषयों के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा भी शुरु की गई।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

VI.74 रिज़र्व बैंक भारत में सीबीडीसी की शुरूआत के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहा है। सीबीडीसी का डिज़ाइन, मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और मुद्रा और भुगतान प्रणालियों के कुशल संचालन के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। तदनुसार, सीबीडीसी का उपयुक्त डिजाइन तत्व - जिन्हें बहुत कम या बिना किसी व्यवधान के लागू किया जा सकता है - जांच के अधीन है। केंद्रीय बजट 2022-23 में सीबीडीसी की शुरूआत की घोषणा की गई है और आरबीआई अधिनियम, 1934 में एक उपयुक्त संशोधन को, वित्त विधेयक, 2022 में शामिल किया गया है। वित्त विधेयक, 2022 को अधिनियमित किया जा चुका है, जिसमें सीबीडीसी की शुरुआत के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है।

हार्बिन्जर 2021

VI.75 रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2021 में अपना पहला वैश्विक हैकथॉन 'हार्बिन्जर 2021 - इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' शुरु किया, जिसमें निम्नलिखित चार समस्या विवरण थे: (ए) छोटी राशि की नकद लेन-देन को डिजिटल तरीके में परिवर्तित करने

के लिए अभिनव, सुगम, गैर-मोबाइल डिजिटल भुगतान समाधान; (बी) भुगतान अनुभूति से भुगतान के भौतिक कार्य को अलग करने के लिए, संदर्भ-आधारित खुदरा भुगतान; (सी) डिजिटल भुगतान के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन तंत्र; और (डी) डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी और व्यवधान का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया विश्लेषण निगरानी उपकरण। हैकाथॉन को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच)

VI.76 सतत नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए और एक संस्थागत सेट-अप के माध्यम से, रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) को, रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। इस केंद्र का एक स्वतंत्र बोर्ड है। उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।

VI.77 यह केंद्र, वित्तीय क्षेत्र के संस्थाओं, प्रौद्योगिकी, उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करेगा और विचारों के आदान-प्रदान और वित्तीय नवोन्मेष से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास के प्रयासों का समन्वय करेगा ताकि एक ऐसा परितंत्र बनाया जा सके जो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने, उत्पादों और वित्तीय समावेश पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य करे। यह फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप के साथ जुड़ाव की सुविधा के लिए आवश्यक आंतरिक बुनियादी ढांचे का भी विकास करेगा।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.78 2022-23 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- 'फिनटेक पर विजन और रणनीतिक दस्तावेज' (*उत्कर्ष*) द्वारा निर्धारित रोड मैप का कार्यान्वयन;
- डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक और बिगटेक के लिए नीतिगत ढांचे की तलाश;
- सीबीडीसी (*उत्कर्ष*) की चरणबद्ध शुरूआत;
- देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाना; और
- रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र के माध्यम से प्रमुख महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

4. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

VI.79 पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को सभी एससीबी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर], स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों (पीबी), एसएफबी, सीआईसी, एआईएफआई, यूसीबी, एनबीएफसी [हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को छोड़कर] और एआरसी के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वाणिज्यिक बैंक

VI.80 वर्ष के दौरान विभाग ने एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), एलएबी, पीबी, एसएफबी, सीआईसी और एआईएफआई के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को और सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.81 विभाग ने वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कारोबार रणनीति/ मॉडल, जोखिम और अनुपालन संस्कृति के साथ-साथ निगरानी और आश्वासन कार्यों के प्रत्यक्ष मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना (*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ VI.82];
- अपनी क्षमता और सामर्थ्य को रूपांतरित कर, पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए अभिनव और स्केलेबल सुपटेक को अपनाना (*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ VI.83];
- उत्कर्ष/ धन शोधन निवारण (एएमएल) पर्यवेक्षण के लिए विकसित जोखिम-आधारित मॉडल के परिणाम

के आधार पर सभी बैंकों से आँकड़ा संग्रहण प्रक्रिया और उसका अप्रत्यक्ष मूल्यांकन और चुनिंदा बैंकों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को सुव्यवस्थित करना (पैराग्राफ VI.84); और

- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली में वृद्धि, जिसमें ईडब्ल्यूएस ढांचे के प्रभाव में सुधार, धोखाधड़ी अभिशासन और प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना, लेनदेन की निगरानी के लिए आँकड़ा विश्लेषण को बढ़ाना, धोखाधड़ी के लिए विशेष बाज़ार आसूचना (एमआई) इकाई की शुरूआत और प्रत्येक धोखाधड़ी के लिए स्वयंचालित प्रणाली जनित विशिष्ट संख्या का कार्यान्वयन शामिल है। (पैराग्राफ VI.85 - VI.86)।

कार्यान्वयन की स्थिति

बैंकों में निगरानी और आश्वासन कार्य

VI.82 निरीक्षण का मूल्यांकन, आश्वासन कार्य और कारोबार मॉडल/ कार्यनीति- पर्यवेक्षण के मुख्य क्षेत्र बने हुए हैं। सुदृढ़ वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में अभिशासन और मजबूत आंतरिक नियंत्रण की प्रधानता को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक अब अपने पर्यवेक्षी मूल्यांकन में अभिशासन की गुणवत्ता और आश्वासन कार्यों को अधिक महत्व देता है। जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, आंतरिक लेखा परीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उद्देश्य पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में आश्वासन कार्य के विभिन्न खंडों को अधिक स्वतंत्रता और प्रभावोत्पादकता प्रदान करना है।

सुपटेक

VI.83 रिज़र्व बैंक द्वारा विवरणियों के वर्तमान फ्रेमवर्क को समेकित और अनुकूलित करके पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए एक एकीकृत पर्यवेक्षी डेटा संरचना को विकसित किया गया है। केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के हिस्से के रूप में बैंकों से डेटा संग्रहण को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। जबकि अप्रत्यक्ष विश्लेषण के दायरे को मजबूत बनाने और विस्तारित करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, बाज़ार आसूचना और अप्रत्यक्ष चौकसी को और अधिक व्यवस्थित किया गया है और लगातार परिष्कृत किया जा रहा है।

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन का पर्यवेक्षण

VI.84 बैंकों द्वारा प्रस्तुत केवाईसी/ एएमएल डेटा के आधार पर जोखिम स्कोरिंग और रूपरेखा बनाने के लिए एक विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया गया है। मॉडल के माध्यम से प्राप्त जोखिम स्कोर बैंकों के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मूल्यांकन का आधार बनते हैं और उन्हें जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के लिए एक इनपुट के रूप में प्रदान किया जाता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना

VI.85 रिज़र्व बैंक ने 2021-22 के दौरान रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) के सहयोग से चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ईडब्ल्यूएस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन किया। इसके अलावा, मशीन लर्निंग (एमएल) एल्गोरिदम का उपयोग करके चुनिंदा बैंकों में ईडब्ल्यूएस की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया था।

VI.86 धोखाधड़ी डेटा के विश्लेषण को और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए, सीआईएमएस परियोजना के तहत सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली, डेटा डैशबोर्ड का निर्माण और एसई द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के लिए मशीन-जनित विशिष्ट पहचान संख्या जैसे कई सुधार लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सीआईएमएस के तहत संशोधित केंद्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण (सीएफआर) में वृद्धि होने की उम्मीद है और यह रिपोर्टिंग संस्थाओं से/ को धोखाधड़ी से संबंधित डेटा के निर्बाध हस्तांतरण के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) क्षमताएं प्रदान करेगा।

अन्य पहलें

धोखाधड़ी विश्लेषण

VI.87 पिछले तीन वर्षों में बैंक समूह-वार धोखाधड़ी के मामलों का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि जहां निजी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी के अधिकतम मामले रिपोर्ट किए, वहीं धोखाधड़ी की राशि में सर्वाधिक राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की थी। (सारणी VI.1)। संख्या और मूल्य, दोनों के मामले में धोखाधड़ी मुख्य रूप से ऋण संविभाग (अग्रिम श्रेणी) में होती रही है (सारणी VI.2)।

सारणी VI.1: धोखाधड़ी के मामले - बैंक समूह-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह/ संस्था	2019-20		2020-21		2021-22	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4,410	1,48,224	2,901	81,901	3,078	40,282
	(50.7)	*(79.9)*	*(39.4)*	*(59.2)*	*(33.8)*	*(66.7)*
निजी क्षेत्र के बैंक	3,065	34,211	3,710	46,335	5,334	17,588
	(35.2)	*(18.5)*	*(50.4)*	*(33.5)*	*(58.6)*	*(29.1)*
विदेशी बैंक	1,026	972	520	3,280	494	1,206
	(11.8)	*(0.5)*	*(7.1)*	*(2.4)*	*(5.5)*	*(2.0)*
वित्तीय संस्थाएं	15	2,048	24	6,663	10	1,305
	(0.2)	*(1.1)*	*(0.3)*	*(4.9)*	*(0.1)*	*(2.2)*
लघु वित्त बैंक	147	11	114	30	155	30
	(1.7)	-	*(1.6)*	-	*(1.7)*	-
भुगतान बैंक	38	2	88	2	30	1
	(0.4)	-	*(1.2)*	-	*(0.3)*	-
स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	-	2	-	2	2
	-	-	-	-	-	-
कुल	**8,703**	**1,85,468**	**7,359**	**1,38,211**	**9,103**	**60,414**
	(100.0)	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***

-: शून्य/ नगण्य

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

2. उपरोक्त डेटा इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में है।

3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

4. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले हुई हो सकती है।

5. निहित राशि रिपोर्ट के अनुसार है और उपगत हानि की राशि को नहीं दर्शाती है। वसूली के आधार पर, उपगत हानि कम हो जाती है। इसके अलावा, यह आवश्यक नहीं है कि ऋण खातों में निहित पूरी राशि का विचलन हो।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या के लिए मुख्य रूप से कम मूल्य के कार्ड/ इंटरनेट धोखाधड़ी उत्तरदायी थी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण संविभाग में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की राशि का प्रमुख हिस्सा था।

VI.88 वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान रिपोर्ट की गई सभी धोखाधड़ियों का विश्लेषण धोखाधड़ी की घटना की तारीख और इसकी पहचान के बीच एक महत्वपूर्ण समय-अंतराल को दर्शाता है (सारणी VI.3)। वर्ष 2020-21 में 91.71 प्रतिशत दर्ज किये गए धोखाधड़ी मामलों की तुलना में, 2021-22 में मूल्य के आधार पर दर्ज किये गए 93.73 प्रतिशत धोखाधड़ी मामले पिछले वित्तीय वर्षों में हुए थे।

ह्रासित आस्तियों की तत्काल पहचान

VI.89 रिज़र्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रणाली संचालित एनपीए पहचान को कार्यान्वयित करने में संलग्न है, ताकि आस्ति ह्रास की त्वरित और त्रुटि मुक्त पहचान सुनिश्चित की जा सके।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.90 विभाग ने 2022-23 में एससीबी/ एआईएफआई के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- रिज़र्व बैंक *(उत्कर्ष)* के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी डैशबोर्ड तैयार किया जाए ;
- अपनी भविष्यसूचक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु/ पूर्व चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई) मॉडल की बैक-टेस्टिंग / एससीबी के लिए एक नया ईडब्ल्यूआई फ्रेमवर्क बनाना; और
- कमजोरियों की पहचान करने और उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रक्रिया लेखापरीक्षा करना।

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले - परिचालन के क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22	
	धोखाधड़ी की संख्या	अंतर्निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	अंतर्निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	अंतर्निहित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम	4,608	1,81,942	3,497	1,36,812	3,839	58,328
	(52.9)	*(98.1)*	*(47.5)*	*(99.0)*	*(42.2)*	*(96.5)*
तुलनपत्रेतर मदें	34	2,445	23	535	21	1077
	(0.4)	*(1.4)*	*(0.3)*	*(0.4)*	*(0.2)*	*(1.8)*
विदेशी मुद्रा लेनदेन	8	54	4	129	7	7
	(0.1)	-	*(0.1)*	*(0.1)*	*(0.1)*	-
कार्ड/ इंटरनेट	2,677	129	2,545	119	3,596	155
	(30.7)	*(0.1)*	*(34.6)*	*(0.1)*	*(39.5)*	*(0.2)*
जमाराशियां	530	616	504	434	471	493
	(6.1)	*(0.3)*	*(6.8)*	*(0.3)*	*(5.2)*	*(0.8)*
अंतर-शाखा खाते	2	-	2	-	3	2
	-	-	-	-	-	-
नकद	371	63	329	39	649	93
	(4.3)	-	*(4.5)*	-	*(7.1)*	*(0.2)*
चेक/ मांग ड्राफ्ट, *आदि*	201	39	163	85	201	158
	(2.3)	-	*(2.2)*	*(0.1)*	*(2.2)*	*(0.3)*
समाशोधन खाते	22	7	14	4	16	1
	(0.3)	-	*(0.2)*	-	*(0.2)*	-
अन्य	250	173	278	54	300	100
	(2.9)	*(0.1)*	*(3.8)*	-	*(3.3)*	*(0.2)*
कुल	**8,703**	**1,85,468**	**7,359**	**1,38,211**	**9,103**	**60,414**
	(100.0)	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***

-: शून्य/ नगण्य

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

2. सारणी VI.1 की फूटनोट संख्या 2-5 का संदर्भ लें।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी VI.3: वर्ष 2020-21 और 2021-22 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की पुरानी घटनाएं

(अंतर्निहित राशि>= ₹1 लाख)

2020-21		2021-22	
धोखाधड़ी की घटना	अंतर्निहित राशि (₹ करोड़)	धोखाधड़ी की घटना	अंतर्निहित राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4
2011-12 से पहले	6,371	Before 2012-13	10,930
2011-12	4,365	2012-13	3,272
2012-13	5,016	2013-14	7,270
2013-14	16,143	2014-15	3,451
2014-15	14,635	2015-16	4,661
2015-16	14,167	2016-17	5,620
2016-17	14,486	2017-18	7,346
2017-18	17,293	2018-19	5,448
2018-19	12,851	2019-20	4,912
2019-20	21,432	2020-21	3,719
2020-21	11,452	2021-22	3,785
कुल	**1,38,211**	**कुल**	**60,414**

टिप्पणी: सारणी VI.1 की फूटनोट संख्या 3 और 5 का संदर्भ लें।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.91 विभाग ने एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की निरंतर निगरानी की।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.92 विभाग ने 2021-22 में शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- चुनिंदा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों *(उत्कर्ष)* की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/ साइबर सुरक्षा जांच आयोजित करना *उत्कर्ष* [पैराग्राफ VI.93 - VI.95];
- चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण विकसित करना (पैराग्राफ VI.96); और
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए ईडब्ल्यूएस और दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क का सुदृढ़ीकरण (पैराग्राफ VI.97)।

कार्यान्वयन की स्थिति

शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा और आईटी जांच

VI.93 यूसीबी की साइबर सुरक्षा के लिए 24 सितंबर, 2020 को जारी किए गए प्रौद्योगिकी दृष्टि दस्तावेज़ में **गार्ड** नामक पांच-स्तंभ वाले कार्यनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है, यथा निगरानी अभिशासन, उपयोगी प्रौद्योगिकी निवेश, उचित विनियमन और पर्यवेक्षण, सुदृढ़ सहयोग, और आवश्यक आईटी और साइबर सुरक्षा कौशल विकसित करना।

VI.94 वर्ष के दौरान, चुनिंदा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा जांच को पूरा करने सहित शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा आत्मनिर्भरता की निगरानी बढ़ाने के लिए पहल की गई। शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनिवार्य सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फ़ाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन्स (स्विफ्ट) प्रणाली संबंधी नियंत्रणों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक अभ्यास आयोजित किया गया था। अभ्यास के परिणामस्वरूप, संबंधित शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर देखी गई कमियों को दूर करने की सलाह दी गई थी।

VI.95 शहरी सहकारी बैंकों में आईटी और साइबर से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिए, आरईबीआईटी के सहयोग से उनकी आईटी जांच के लिए एक प्रणाली शुरू की गई है, जो नियमित निरीक्षण प्रक्रिया का सहयोग देती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाले सभी नौ शहरी सहकारी बैंकों की आईटी जांच आयोजित की।

शहरी सहकारी बैंकों का केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण

VI.96 वर्ष 2021-22 में डेटा संग्रह के लिए चुनिंदा यूसीबी (₹1,000 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति का आकार) के लिए डेटा टेम्प्लेट को डिजाइन कर साझा किया गया था। इसका उपयोग शहरी सहकारी बैंकों के जोखिम स्कोर और जोखिम रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाएगा।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क

VI.97 दबाव के भविष्योन्मुखी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, वर्ष के दौरान कमजोरियों की पहचान करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षी साधनों को डिजाइन किया गया था। यूसीबी खंड में दबाव के शुरुआती संकेतकों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक ईडब्ल्यूएस और एक दबाव जांच फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.98 विभाग ने 2022-23 में शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए हैं:

- साइबर सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल का मूल्यनकन करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की शुरूआत;
- ₹5,000 करोड़ रुपये से कम आस्ति आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी जांच को उत्तरोत्तर विस्तारित करना या बाह्य आईटी समीक्षा को अनिवार्य बनाना; और
- निदेशक के दृष्टिकोण से कंपनियों के साथ यूसीबी की अंतर-संबद्धता का विश्लेषण करना;

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.99 विभाग ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी की प्रभावी निगरानी करना जारी रखा।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.100 विभाग ने 2021-22 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की थी:

- भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली को डिजाइन करना (इंड-एएस) *[उत्कर्ष]* (पैराग्राफ VI.101);
- एनबीएफसी के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण (सीएफआर) का कार्यान्वयन *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.102];
- एनबीएफसी के बाज़ार आसूचना (एमआई) और ऑफ-साइट पर्यवेक्षी मूल्यांकन को मजबूत करना (पैराग्राफ VI.103 - VI.104);

- चुनिंदा एनबीएफसी के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण विकसित करना (पैराग्राफ VI.105); और
- एनबीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा के प्रभाव की निगरानी (पैराग्राफ VI.106)।

कार्यान्वयन की स्थिति

पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना

VI.101 अप्रत्यक्ष मूल्यांकन की प्रभावशीलता और एनबीएफसी के डेटा संग्रह की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, एनबीएफसी के कॉसमॉस रिटर्न को युक्तिसंगत बनाया गया है और नई एक्सबीआरएल प्रणाली में फिर से डिजाइन किया गया है। एनबीएफसी रिटर्न का इंड-एएस लेखांकन मानदंडों के साथ संरेखण किया गया है और इसे सीआईएमएस पोर्टल में लागू किया जाएगा। इसके अलावा, सीआईएमएस पोर्टल में निरंतर आधार पर एनबीएफसी की अप्रयक्ष निगरानी के लिए पृथक एमआईएस रिपोर्ट तैयार की गई है।

एनबीएफसी के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण (सीएफआर)

VI.102 एनबीएफसी द्वारा धोखाधड़ी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए वर्ष के दौरान एक एक्सबीआरएल आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस दौरान, सीआईएमएस परियोजना के तहत सभी एसई (एनबीएफसी सहित) के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रारूप का विकास किया जा रहा है/ शुरू हो गया है। एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रारूप, धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किए गए सभी वैयक्तिक खातों के लिए विशिष्ट पहचान निर्दिष्ट करने की एक स्वचालित प्रणाली का संचालन करता है।

परिष्कृत पर्यवेक्षी मूल्यांकन

VI.103 रिज़र्व बैंक ने एक केंद्रीकृत पर्यवेक्षी आसूचना कक्ष की स्थापना की है जो विभिन्न बाह्य स्रोतों (दलालों की रिपोर्ट, रेटिंग में कमी और आंतरिक सीआरआईएलसी डेटा के साथ मैप किए गए नकारात्मक समाचार), आंतरिक स्रोतों (*सैशे* पोर्टल और मासिक शिकायत विश्लेषण) और अन्य स्रोतों से प्राप्त इनपुट के आधार पर जानकारी को समेकित करके सभी एसई (एनबीएफसी सहित) के लिए मासिक एमआई रिपोर्ट तैयार करता है।

VI.104 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के साथ-साथ जमा राशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी की कमियों के किसी भी प्रारंभिक संकेत के लिए बारीकी से निगरानी की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यक हो, रिज़र्व बैंक उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए प्रत्यक्ष परीक्षण / जांच करता है। पाई गई दोषों/कमियों को समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एनबीएफसी के प्रबंधन के समक्ष तत्काल उठाया जाता है। रिज़र्व बैंक भी कंपनियों द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों पर निगरानी रखता है।

एनबीएफसी का केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण

VI.105 वर्ष 2021-22 में डेटा संग्रह के लिए चुनिंदा एनबीएफसी के साथ डेटा टेम्प्लेट को डिज़ाइन और साझा किया गया था। इन आंकड़ों का उपयोग एनबीएफसी के जोखिम स्कोर और जोखिम की रूपरेखा बनाने के लिए किया जाएगा।

एनबीएफसी द्वारा ग्राहक सेवा

VI.106 वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता और शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देश जारी किए गए। नमूना आधार पर अप्रत्यक्ष मूल्यांकन के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की गई और अननुपालन, यदि कोई हो, संबंधित एनबीएफसी की निरीक्षण रिपोर्ट में सामने लाये गए। डिजिटल ऋण देने वाली एनबीएफसी और पर्याप्त ग्राहक इंटरफेस वाले डिजिटल उधारदाताओं से जुड़ी एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता के पालन और ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता की भी नमूना आधार पर जांच की गई।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.107 विभाग ने 2022-23 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए हैं:

- इंड-एएस के अंतर्गत विनियामक मार्गदर्शन के आधार पर एनबीएफसी के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क और विवरणी प्रारूप की समीक्षा करना *(उत्कर्ष)*;
- एनबीएफसी के लिए हाल ही में जारी आकार-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क के संदर्भ में क्षेत्रवार मूल्यांकन में परिवर्तन करना;

- एनबीएफसी के लिए केआरआई की अप्रत्यक्ष डिजाइन के माध्यम से उनके साइबर सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन करने हेतु केआरआई की शुरुआत करना; और
- चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आईटी जांच का सूत्रपात।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय

VI.108 एक एकीकृत डीओएस का परिचालन किया गया है जिसमें एक छत्र विभाग के तहत बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी का समग्र रूप से पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इससे विनियामक/ पर्यवेक्षी अंतरपणन, अंतर-संबद्धता और सूचना विसंगति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निपटान में सुधार आएगा।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.109 विभाग ने 2021-22 में सभी एसई के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए साइबर सुरक्षा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.110 - VI.111];
- आईटी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.110 - VI.111);
- विवरणी के वर्तमान फ्रेमवर्क की समीक्षा और समेकन द्वारा रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए पर्यवेक्षी डेटा संरचना को एकीकृत करना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.112];
- बाज़ार निगरानी, कदाचार विश्लेषण, सूक्ष्म/ समष्टि विवेकपूर्ण विश्लेषण की क्षमता के साथ पर्यवेक्षी डेटा विश्लेषण का सूत्रपात *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.112 - VI.113]; और
- शैक्षणिक सलाहकार परिषद (एएसी) के मार्गदर्शन में सीओएस, उन चिन्हित क्षेत्रों के आधार पर सभी कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की योजना बनाएगा और उसे तैयार करेगा, जहां क्षमता निर्माण/ कौशल-संवर्धन की आवश्यकता होती है, कार्यक्रमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों/ सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्क करना, और उपयुक्त शिक्षण तरीके विकसित करते हैं। (पैराग्राफ VI.114)।

कार्यान्वयन की स्थिति

आईटी और साइबर सुरक्षा संबंधित गतिविधियां

VI.110 रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) द्वारा 2019 में जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को विनिर्दिष्ट करने की सलाह दी है। साइबर केआरआई विवरणी को बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले साइबर जोखिमों का बेहतर तरीके से पता लगाने के लिए संशोधित किया गया है।

VI.111 रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की साइबर सुरक्षा तत्परता की निगरानी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जारी किए गए हैं। नई तकनीक के उपयोग पर दिशानिर्देश, *यानी* क्लाउड सेवाएं और सुरक्षा, और सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए सम्मिलित करने हेतु मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने ईमेल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किया। अभ्यास के आधार पर जिन पर्यवेक्षित संस्थाओं को देख-रेख की आवश्यकता थी, उन्हें विशिष्ट समय-सीमा के साथ एक निश्चित कार्य योजना लागू करने की सलाह दी गई थी।

पर्यवेक्षी डेटा विश्लेषण

VI.112 अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी डेटा का उपयोग वर्तमान में नीति निर्माण में सहायता करने, शुरुआती दबाव की पहचान करने, ऋणदाताओं में से उधारकर्ताओं की स्थिति का पता लगाने और विनियामक शर्तों के अनुपालन की जांच करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय बृहत ऋण सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) और सीएफआर के अलावा, रिज़र्व बैंक की डेटा क्षमताओं को संशोधित डेटा वेयरहाउस, *यानी* सीआईएमएस के माध्यम से

और उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान विवरणी प्रारूपों की गहन समीक्षा और युक्ति संगत बनाने के बाद नए एकीकृत रिटर्न प्रारूप विकसित किए गए हैं।

VI.113 रिज़र्व बैंक ने समय पर और सक्रिय कार्रवाई करने के लिए दोषों की शीघ्र पहचान के लिए एक प्रणाली विकसित की है। यह अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी दलों को एक प्रभावी और अधिक व्यापक इनपुट प्रदान करने के लिए तिमाही अप्रत्यक्ष विवरणी में डेटा विश्लेषण का प्रयोग किया रहा है। एक प्रारंभिक चेतावनी फ्रेमवर्क - जो समष्टि-आर्थिक चरों, और बाज़ार और बैंकिंग संकेतकों को ट्रैक करता है - विश्लेषण का पूरक है। बैंक-वार के साथ-साथ प्रणाली-व्यापी पर्यवेक्षी दबाव का परीक्षण अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए एक भविष्योन्मुखी आयाम जोड़ता है। वर्ष के दौरान, तनावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान के लिए आरबीएस मॉडल के इनपुट के रूप में समष्टि-विवेकपूर्ण विश्लेषण के साथ एक सूक्ष्म-विवेकपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन आयोजित किया गया। अन्य अध्ययनों के माध्यम से बाज़ार की निगरानी और कदाचार का विश्लेषण भी निरंतर आधार पर किया जा रहा है।

पर्यवेक्षकों का कॉलेज (सीओएस)

VI.114 पर्यवेक्षी और विनियामक कर्मियों के कौशल को बढ़ाने के लिए, पर्यवेक्षण महाविद्यालय मई 2020 में स्थापित किया गया था। वर्ष के दौरान, सीओएस द्वारा कुल 43 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे (बॉक्स VI.3)।

बॉक्स VI.3

पर्यवेक्षी कौशल संवर्धन और सशक्तिकरण

एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) और एकीकृत विनियमन विभाग (डीओआर) की स्थापना के बाद, वित्तीय कारोबार में बढ़ती जटिलताओं के अनुरूप समर्थकारी फ्रेमवर्क, आंतरिक प्रक्रियाओं, कार्य वातावरण और सही कौशल समूह का उपयोग कर वित्तीय प्रणाली की निरंतर निगरानी करने के लिए पर्यवेक्षकों को सक्षम करने के लिए विभिन्न पहल की गईं।

प्रवेश स्तर पर और निरंतर आधार पर अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कर्मियों के बीच पर्यवेक्षी कौशल को संवर्धित करने और सुदृढ़ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षकों के कॉलेज (सीओएस) की स्थापना की है। मई 2020 में वर्चुअल मोड से इसकी शुरुआत हुई और कॉलेज औपचारिक रूप से जनवरी 2021 से प्रभावी रूप से परिचालनगत हो गया है। कॉलेज का नेतृत्व एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसे छह सदस्यीय शैक्षणिक सलाहकार परिषद (एएसी) का सहयोग प्राप्त होता है। यह कौशल निर्माण/ कौशल-संवर्धन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने हेतु मार्गदर्शन करता है, सभी कार्यक्रमों के लिए योजना बनाना और पाठ्यक्रम विकसित करना, कार्यक्रमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों/ सर्वोत्तम प्रथाओं के स्तर का बनाता है, अध्ययन के उचित तरीके विकसित करता है, *आदि*।

सीओएस ने रिज़र्व बैंक में विनियामक, पर्यवेक्षी, प्रवर्तन और वित्तीय स्थिरता कार्यों से निपटने वाले अपने अधिकारियों के लिए और कुछ अन्य कार्यक्षेत्रों में तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रासंगिक विषयों की एक शृंखला पर कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए हैं। इनमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की सूक्ष्म तकनीकें, "संकट" का समय रहते पता करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की अप्रत्यक्ष निगरानी, डिजिटल कारोबार मॉडल, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए विश्लेषण का उपयोग, फिनटेक, रेगटेक और सुपटेक के तकनीकी आधार और मूलभूत अंग, नेतृत्व, पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में टीम निर्माण और संचार कौशल, *आदि* शामिल हैं। 2021-22 के दौरान 43 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1,700 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए। सीओएस का केंद्र-बिन्दु फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से नए भर्ती किए गए कर्मियों का कौशल-संवर्धन करने और उन्हें उपयुक्त रूप से विकसित करने और उन्हें भविष्य में नई जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना भी है। कार्यक्रम एक संवादमूलक और मामले के अध्ययन (केस-स्टडी) पर आधारित अध्यापन का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ भारतीय और वैश्विक संकाय की सहायता से तैयार किए गए थे। इसके अलावा, सीओएस ने निरंतर अध्ययन कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विषयगत वेबिनार, सामयिक पैनल चर्चा और 'लेखकों के साथ फायर साइड चर्चा' का भी आयोजन किया है।

आगे चलकर, सीओएस का लक्ष्य वर्च्युअल और भौतिक माध्यम में प्रशिक्षण जारी रखने के अलावा, उन्नत अध्ययन साधन परिनियोजित करने और ई-लर्निंग मॉड्यूल और प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने का है। वर्ष 2022-23 के लिए कुल 55 कार्यक्रमों और 12 सेमिनारों/ वेबिनार आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें ईसीबी, आईएमएफ, बीआईएस, *आदि* जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ चुनिंदा सहयोगपूर्ण अध्ययन कार्यक्रम शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

प्रमुख गतिविधियां

केवाईसी/ एएमएल और धोखाधड़ी अभिशासन संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन

VI.115 बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसी में केवाईसी/ एएमएल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए नवंबर 2021 में वर्चुअल मोड के माध्यम से सभी बैंकों और चुनिंदा यूसीबी/ एनबीएफसी के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं, इसके बाद फरवरी 2022 में वर्चुअल मोड के माध्यम से चुनिंदा यूसीबी/ एनबीएफसी के लिए और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। बैंकों के लिए कार्यशालाओं में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी और यूसीबी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग सहित धोखाधड़ी के बेहतर प्रबंधन पर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित कीं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

VI.116 पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को समय पर सक्षम करने के उद्देश्य से एक संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया गया था और एसई को एक विवेकपूर्ण तरीके से उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और लागू करने के लिए, जोखिमों के निर्माण को रोकने के लिए और निर्दिष्ट संस्थाओं को उनकी वित्तीय बहाली के पथ पर लाने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क का उद्देश्य प्रभावी बाज़ार अनुशासन के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना भी है।

एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क

VI.117 एनबीएफसी के बढ़ते आकार और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ उनके महत्वपूर्ण अंतर-संबद्धता को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी के लिए एक पीसीए फ्रेमवर्क का सूत्रपात किया गया था ताकि उन पर लागू पर्यवेक्षी साधनों को और सुदृढ़ किया जा सके।

शहरी सहकारी बैंकों की मौजूदा अप्रत्यक्ष विवरणियों को युक्तिसंगत बनाना

VI.118 एक कार्य-दल (डब्ल्यूजी) ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी विवरणियों की समीक्षा की और उन्हें फिर से डिजाइन किया। इस अभ्यास में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, शहरी सहकारी बैंकों के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख गतिविधियों को चिन्हित के लिए, विवरणियों की संख्या में कमी और जहां कहीं भी आवश्यक हो, नई डेटा मदों को शामिल करना था। विवरणियों के युक्तिसंगत समूह को सीआईएमएस पोर्टल में भविष्य में से प्रारंभ किया जाना है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए लेखापरीक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाना

VI.119 रिज़र्व बैंक ने 2021-22 से शुरू होकर शहरी सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए अतिरिक्त प्रमाणन/ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित किया है। वर्ष 2021-22 के लिए उन्नीस प्रमाणन/ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया था। इन आवश्यकताओं को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखने हेतु यूसीबी को सूचित किया गया था।

चुनिंदा एचएफसी और एनबीएफसी के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) दिशानिर्देश

VI.120 आरबीआईए दिशानिर्देशों को 11 जून, 2021 के परिपत्र के माध्यम से सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाली एचएफसी के लिए विस्तारित किया गया था, जिनका आस्ति आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है। परिपत्र का इरादा, अन्य बातों के साथ-साथ, एक मजबूत आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को प्रदान करना है, जिसमें पर्याप्त प्राधिकार, महत्ता, स्वतंत्रता, संसाधन और पेशेवर कार्य-क्षमता शामिल है, ताकि इन आवश्यकताओं को बड़े एनबीएफसी/ यूसीबी में एससीबी के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जा सके। यह उम्मीद की जाती है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा आरबीआईए को अपनाने से उनकी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/ सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति पर एक समान दिशानिर्देश

VI.121 विभाग ने 27 अप्रैल, 2021 के परिपत्र के *माध्यम* से वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के एससीए/ एसए की नियुक्ति पर एक समान दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश लेखा परीक्षकों

की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए उनकी संख्या, उनकी पात्रता के मानदंड, कार्यकाल और रोटेशन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान करते हैं। ये दिशानिर्देश यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से की जाए और आरई में लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए।

एनबीएफसी के लिए कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन

VI.122 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपनाए गए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के समान 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन (सीएफएसएस)' को लागू करने के लिए एनबीएफसी की कुछ श्रेणियों को अनिवार्य किया, जो डिजिटल प्रस्तावों और लेनदेनों के लिए निर्बाध ग्राहक इंटरफेस और कहीं भी/ कभी भी सुविधा से लैस संबंधित उत्पादों और सेवाओं के लिए सुविधा प्रदान करेगा।

यह एनबीएफसी के कार्यों के एकीकरण को सक्षम करने, केंद्रीकृत डेटाबेस और लेखा रिकॉर्ड प्रदान करने, और आंतरिक उद्देश्यों और विनियामक रिपोर्टिंग दोनों के लिए उपयुक्त एमआईएस उत्पन्न करने में सक्षम होगा।

विभिन्न विश्लेषणात्मक अध्ययन

VI.123 विभाग ने वर्ष के दौरान समसामयिक विषयों पर विभिन्न विश्लेषणात्मक अध्ययन किए जैसे कि बैंकों के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन, भुगतान प्रणाली डेटा, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), कानूनी इकाई अभिज्ञापक (एलईआई), कॉर्पोरेट दिवाला व्यवस्था, समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों की प्रभावशीलता, पहली बार एनपीए की भविष्यवाणी, एनबीएफसी पर इंड-एएस लेखा मानदंडों का प्रभाव, यूसीबी में डिजिटलीकरण आदि।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज

VI.124 रिज़र्व बैंक सीमाओं के पार वित्तीय संस्थानों की बढ़ती जटिलता और अंतर- संबद्धता का विश्लेषण करने और इस तरह के अंतर्संबंधों से उत्पन्न वित्तीय कमजोरियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। इन कदमों में पर्यवेक्षी महाविद्यालयों की स्थापना के अलावा, भारतीय बैंकों के परिचालन वाले क्षेत्राधिकारों के पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ गहन समन्वय, समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादन शामिल हैं।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.125 विभाग का 2022-23 में सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है:

- चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) का कार्यान्वयन;
- अनुपालन कार्य और एनबीएफसी तथा शहरी सहकारी बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी करना;
- सभी एसई के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली;
- साइबर सुरक्षा बढ़ाने के उपाय करना;
- एसई में लेखापरीक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाना; और
- पर्यवेक्षी कर्मचारियों के क्षमता विकास और कौशल वृद्धि के लिए सीओएस के परिचालनों का विस्तार करना।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.126 प्रवर्तन विभाग की स्थापना अप्रैल 2017 में पर्यवेक्षी प्रक्रिया से प्रवर्तन कार्रवाई को अलग करने के लिए की गई थी और लागू कानूनों और नियमों, विनियमनों, दिशा-निर्देशों और आदेश, जारी किए गए निदेश, और उसके तहत रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई शर्तों को संपूर्ण रिज़र्व बैंक में निरंतर लागू किया जाता है तथा आरई द्वारा इनके उल्लंघनों की पहचान करने और उन्हें संसाधित करने के लिए एक संरचित, नियम-आधारित दृष्टिकोण रखने के लिए की गई थी। प्रवर्तन का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जनहित और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के व्यापक सिद्धांत के भीतर आरई द्वारा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.127 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- ईएफडी के कारोबार प्रक्रिया एप्लिकेशन और प्रवर्तन कार्यों का डेटाबेस का कार्यान्वयन *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.128];
- प्रवर्तन नीति और मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की समीक्षा; और क्रेडिट सूचना कंपनियों (बैंकेतर और गैर-एनबीएफसी) के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई होने की जांच करना [पैराग्राफ VI.129];
- प्रवर्तन कार्रवाई में समयबद्धता को प्रभावित करने वाली बाधाओं की पहचान करने और प्रवर्तन कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए डीओएस और डीओआर के साथ समन्वय में सुधार करने के लिए मौजूदा प्रथाओं और (व्यवसाय) प्रक्रियाओं की समीक्षा करना (पैराग्राफ VI.130);
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के निर्णयों में संगति में सुधार लाने और ईएफडी, आरओ के साथ-साथ केंद्रीय कार्यालय (सीओ) के साथ जानकारी साझा करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बातचीत और प्रशिक्षण में वृद्धि; (पैराग्राफ VI.131) ; और
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ समन्वय में सुधार करना और एचएफसी के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की प्रभावी सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ एक समन्वय तंत्र स्थापित करना (पैराग्राफ VI.132)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.128 विभाग जून 2022 तक कारोबार प्रक्रिया एप्लिकेशन को लागू करने के लिए प्रयासरत है।

VI.129 पिछले वर्षों में विभाग द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर और फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट सूचना कंपनियों (बैंकेतर और गैर-एनबीएफसी) को शामिल करने के लिए प्रवर्तन नीति और एसओपी की समीक्षा की जा रही है।

VI.130 विभाग ने ईएफडी तथा विनियामक एवं पर्यवेक्षी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए सतत् आधार पर बातचीत के लिए एक तंत्र और विभागों के मुख्य महाप्रबंधक के स्तर पर एक समन्वय संरचना भी स्थापित की है। इसके अलावा, विभाग ने सूचना साझा करने के लिए मैसेजिंग टेम्प्लेट भी तैयार किए हैं, जो मामलों को संसाधित करते समय विनियमित संस्थाओं और आंतरिक विभागों से अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।

VI.131 प्रवर्तन कार्यों में संगति सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन कार्यों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच एक सूचना साझाकरण तंत्र स्थापित किया गया था।

VI.132 आरई के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नाबार्ड और एनएचबी के साथ एक औपचारिक समन्वय तंत्र स्थापित किया गया था और आरई का पर्यवेक्षण इन संस्थानों द्वारा किया जाता था।

अन्य पहलें

VI.133 अप्रैल 2021-मार्च 2022 के दौरान, विभाग ने 182 आरई (189 दंड) के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की और प्रावधानों के अननुपालन[3]/ रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न परिपत्रों के

माध्यम से समय-समय पर जारी किए गए नियत निर्देशों के उल्लंघन के लिए ₹65.32 करोड़ का कुल जुर्माना लगाया। (सारणी VI.4)।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.134 आगामी वर्ष के लिए, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित हैं:

- आरई द्वारा अनुपालन संस्कृति में सुधार लाने के लिए, आरई के मध्य अतिरिक्त जानकारी के प्रसार के लिए अर्ध-वार्षिक अंतराल पर प्रवर्तन कार्यों पर रिपोर्ट तैयार करने की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी;
- आरई के अनुपालन अधिकारियों के संवेदीकरण पर केंद्रित सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे;
- आरई में अनुपालन संस्कृति में सुधार करने हेतु विभाग आरई की अनुपालन जांच के लिए डीओएस, एनएचबी और नाबार्ड को कारोबार प्रक्रिया एप्लिकेशन का उपयोग करके अक्सर निर्दिष्ट उल्लंघनों के लिए इनपुट प्रदान करेगा; और
- विभाग प्रवर्तन के लिए आकार-आधारित दृष्टिकोण की व्यवहार्यता की जांच करेगा।

सारणी VI.4: प्रवर्तन कार्रवाई (अप्रैल 2021-मार्च 2022)

विनियमित संस्था	दंड की संख्या	कुल दंड (₹ करोड़)
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	13	17.55
निजी क्षेत्र के बैंक	16	29.38
सहकारी बैंक	145	12.10
विदेशी बैंक	4	4.25
भुगतान बैंक	-	-
लघु वित्त बैंक	1	1.0
एनबीएफसी	10	1.03
कुल	**189**	**65.32**

-: शून्य।

स्रोत: आरबीआई।

5. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.135 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है; आरई के शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की निगरानी करता है; लोकपाल कार्यालयों के साथ-साथ "रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021" (आरबी-आईओएस) के निष्पादन की निगरानी करता है; और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा और संरक्षण पर वर्तमान नियमों के साथ-साथ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए जन-जागरूकता पैदा करता है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.136 उत्कर्ष के तहत 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत नहीं आने वाली शिकायतों से निपटने के लिए नीति/ योजना तैयार करना (पैराग्राफ VI.137);
- शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुरक्षित बैंकिंग पद्धतियों को सम्मिलित करने के प्रयास (पैराग्राफ VI.138); और

[3] उदाहरण के तौर पर, उनमें से कुछ में एक्सपोजर मानदंड और आईआरएसी मानदंड शामिल हैं; भारतीय रिज़र्व बैंक [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)] निदेश, 2016; भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016; बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर परिपत्र; साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता; एनबीएफसी को उधार; जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016; और निदेशक मंडल- शहरी सहकारी बैंकों पर मास्टर परिपत्र।

- आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना का वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तक विस्तार (पैराग्राफ VI.139)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.137 रिज़र्व बैंक की पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं[4] का 12 नवंबर, 2021 से आरबी-आईओएस में विलय कर दिया गया है। आरबी-आईओएस के कार्यक्षेत्र से इतर शिकायतों के दो समूह हैं: (i) आरबी-आईओएस के तहत शामिल नहीं होने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें- (*यानी* गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, जिनका जमा राशि आकार ₹50 करोड़ से कम है, एनबीएफसी जिनकी आस्ति आकार ₹100 करोड़ से कम है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, क्रेडिट सूचना कंपनियां, *आदि*), जो पूरे देश में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण प्रकोष्ठों (सीईपीसी) द्वारा नियंत्रित की जाती हैं; और (ii) आरबी-आईओएस की अपवर्जन सूची में आने वाली शिकायतें (प्रबंधन, नीति संबंधी मामलों *आदि* के विरुद्ध शिकायतें)। ऐसे में शिकायतकर्ता को सलाह देते हुए, शिकायतों के मामले के अनुसार या तो इनको रिज़र्व बैंक के विनियामक/ पर्यवेक्षी विभागों को या संबंधित विनियामकों/ प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है। आरबी-आईओएस के कार्यक्षेत्र से इतर शिकायतों के निपटान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।

VI.138 विभाग ने सितंबर 2020 में ग्राहक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय शिक्षण के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार किया था। वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए सामग्री और "सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं" को स्कूली छात्रों के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) के माध्यम से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के साथ समन्वय किया गया है।

VI.139 चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आईओ योजना के दायरे में लाने के प्रस्ताव की गहन जांच की गई। यह निर्णय लिया गया था कि शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खिलाफ प्राप्त ग्राहकों की शिकायतों की मात्रा और प्रकृति वर्तमान में इन संस्थाओं के लिए एक आईओ तंत्र को संस्थागत बनाने की आवश्यकता नहीं है। रिज़र्व बैंक के आरई के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों की मात्रा और प्रकृति की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है और यूसीबी और आरआरबी में आईओ की आवश्यकता पर भविष्य की तारीख में, यदि आवश्यक हो, फिर से समीक्षा की जाएगी।

प्रमुख गतिविधियां

आरबी-आईओएस, 2021 की शुरुआत

VI.140 लोकपाल योजनाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए एक आंतरिक समिति की अनुशंसा के क्रम में, तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाएं, *यथा* (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एक योजना, *यानी* आरबी-आईओएस, 2021 में एकीकृत किया गया था, जिसका सूत्रपात 12 नवंबर, 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था (बॉक्स VI.4)। यह योजना रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 35ए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45एल और भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है।

[4] पैराग्राफ VI.138 का संदर्भ लें।

बॉक्स VI.4

विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में नई पहल

रिज़र्व बैंक आम आदमी के लिए वित्तीय सुगमता और सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इस दिशा में 12 नवंबर, 2021 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई "रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना" (आरबी-आईओएस), 2021 के अंतर्गत 'एक राष्ट्र - एक लोकपाल' प्रणाली को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना रिज़र्व बैंक की तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है और चरणबद्ध तरीके से सभी आरई (विनियमित इकाइयों) को शामिल करने का लक्ष्य रखती है; ताकि वे कठिनाई रहित वातावरण में समय पर अपने ग्राहकों की शिकायतों का समाधान कर सकें।

माननीय प्रधान मंत्री के शब्दों में, "लोकतंत्र की ताकत इस बात से निर्धारित होती है कि शिकायत निवारण प्रणाली कितनी मजबूत, संवेदनशील और सक्रिय है। आरबी-आईओएस, 2021 में , 'जमकर्ता -पहले' की प्रतिबद्धता ने ताकत हासिल की है। इस योजना के माध्यम से, 44 करोड़ ऋण खातों और 220 करोड़ जमा खातों के खाताधारकों को उनकी शिकायतों के लिए सीधी राहत मिलेगी।

इस नई योजना के अंतर्गत, देश के किसी भी स्थान के आरई के ग्राहक एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात् कंपलेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) या चंडीगढ़ में केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र (सीआरपीसी) में एकल भौतिक / ईमेल पते के माध्यम से रिज़र्व बैंक लोकपाल के पास अपनी शिकायतें दर्ज, ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इन आरई के विरुद्ध "सर्विसेज़ में कमी" के आधार पर सभी शिकायतें पूर्ववर्ती योजनाओं के अंतर्गत विशिष्ट सूची के आधारों पर अब स्वीकार्य होंगी।

वर्चुअल मोड में सुलह संबंधी बैठकों में भाग लेने के लिए एक सुविधा भी स्थापित की गई है ताकि शिकायतकर्ताओं को किसी भी दूरस्थ स्थान से अपनी बात रखने में सहायता मिल सके। नई योजना ने कतिपय प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए नव सृजित उप लोकपाल को शिकायत निवारण में लगने वाले समय में सुधार के लिए अपेक्षित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

सीआरपीसी में एक टोल-फ्री नंबर (14448) के साथ एक संपर्क केंद्र शुरू किया गया है ताकि शिकायतकर्ताओं को शिकायत दर्ज करने और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा नौ क्षेत्रीय भाषाओं में रिज़र्व बैंक में उनकी शिकायतों/शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित जानकारी प्रदान करके उनकी सहायता की जा सके।

इसके साथ ही, शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम शामिल हैं (i) बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए 27 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र के द्वारा स्थापित व्यापक रूपरेखा; और (ii) एनबीएफसी का चयन करने के लिए बैंक और गैर-बैंक प्रणाली के प्रतिभागियों के अनुरूप आईओ योजना का विस्तार। त्वरित निवारण और कुशल शिकायत प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकी उपकरणों के उपयोग के लिए कार्रवाई भी चल रही है।

स्रोत: आरबीआई।

एनबीएफसी के लिए आईओ योजना का विस्तार

VI.141 जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) जिनकी 10 या अधिक शाखाएं हैं और जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी), जिनका आस्ति आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है और जिनके पास सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस है, को निदेश जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उनके आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर नवंबर 2021 में एक आईओ नियुक्त करने का निदेश दिया गया था। सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस नहीं रखने वाली एनबीएफसी की चुनिंदा श्रेणियों को छूट दी गई है। आईओ तंत्र को पहले वर्ष 2018 में बैंकों और 2019 में गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के लिए अनिवार्य किया गया था। निदेश में *अन्य बातों के साथ-साथ*, जांच अधिकारी (आईओ) के लिए नियुक्ति/ कार्यकाल, भूमिका और जिम्मेदारियां, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश और निगरानी तंत्र शामिल हैं। धोखाधड़ी से संबंधित पहलुओं और वाणिज्यिक निर्णयों, आंतरिक प्रशासन, स्टाफ के वेतन और परिलब्धियों, न्यायाधीन मामलों *आदि* से संबंधित शिकायतों को छोड़कर, आरई के आंतरिक शिकायत तंत्र द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकृत की गईं सभी शिकायतों के मामले में शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय से अवगत कराने से पहले जांच अधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा की जानी आवश्यक है। आईओ योजना का उद्देश्य स्वयं आरई के अंत में शिकायतों का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है ताकि ग्राहक को निवारण के लिए अन्य मंचों से संपर्क करने की आवश्यकता को कम किया जा सके।

ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों पर बैंकों से प्राप्त विवरणी

VI.142 रिज़र्व बैंक द्वारा 'वित्तीय समावेशन पर मध्यमावधि मार्ग' (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) पर गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार, *"बैंकों को प्राप्त शिकायतों और निपटान की गई शिकायतों की संख्या की समेकित स्थिति व्यापक शीर्षों के तहत सीईपीडी को प्रस्तुत करना आवश्यक है और परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में वार्षिक बैंक-वार स्थिति जारी की जाएगी"।* सीईपीडी ने बैंकों को प्राप्त और उनके द्वारा निपटाई गईं शिकायतों पर तिमाही आधार पर समेकित और व्यापक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक एक्सबीआरएल विवरणी प्रारूप तैयार किया है। इसके बाद बैंकों द्वारा प्राप्त और निपटाई गईं शिकायतों के डेटा का सीईपीडी द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और एक उपयुक्त रूप में प्रकाशित भी किया जाएगा।

ग्राहक जागरूकता (उत्कर्ष) की दिशा में प्रयास

VI.143 विभाग ने लोकपाल योजनाओं, आधारभूत बचत बैंक जमा खातों, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं *आदि* पर मल्टी-मीडिया अभियान चलाए। भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल (ओआरबीआईओ) के कार्यालयों ने टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें लोकपाल योजनाओं और महत्वपूर्ण ग्राहक सेवा मुद्दों पर जनता और आरई के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, ओआरबीआईओ द्वारा विशिष्ट समूहों जैसे कि सर्विसमैन, स्कूल/ कॉलेज के छात्रों, ग्राहक समूहों *आदि* पर ध्यान देने के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, साइबर धोखाधड़ी, लोकपाल योजनाओं और सीएमएस से संबंधित संदेशों को भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, *'आरबीआई कहता है'* और सीएमएस वेबपेजों पर आयोजित किया गया था। रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य *कार्य प्रणाली* और विभिन्न वित्तीय लेनदेन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर एक पुस्तिका, बी(अ)वेयर को प्रकाशित किया। 15 मार्च, 2022 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर, देश भर के क्षेत्रीय मल्टी-मीडिया चैनलों में "लोकपाल स्पीक" नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि आरबीआई शिकायत निवारण प्रणाली के साथ-साथ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के विरुद्ध बचाव के लिए सुरक्षा उपायों पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उपभोक्ताओं / ग्राहकों को संवेदनशील बनाया जा सके।

बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना

VI.144 बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक फ्रेमवर्क लागू किया गया था और वित्तीय वर्ष के दौरान इस फ्रेमवर्क के चार स्तंभ, *यथा*, परिष्कृत प्रकटीकरण; कुछ शर्तों के तहत लोकपाल द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए बैंकों से लागत की वसूली; बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र की गहन समीक्षा; और पर्यवेक्षी/ विनियामक कार्रवाई जारी रहे।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.145 विभाग द्वारा 2022-23 के लिए *उत्कर्ष* के तहत निम्नलिखित एजेंडा प्रस्तावित है:

- ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान बढ़ाया;
- ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करने और रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत निवारण की उपयुक्तता में सुधार के लिए उन्नत तकनीकी साधनों का उपयोग करना;
- आपदा से बहाली की स्थिति में आने और कारोबार निरंतरता समाधानों को शामिल करने के लिए चंडीगढ़ में रिज़र्व बैंक संपर्क केंद्र को व्यापक आधार-वाला बनाना और अपग्रेड करना;
- आरई में ग्राहक सेवा मानकों और प्रथाओं और इस मामले में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन;
- उपभोक्ता संरक्षण सूचकांक (सीओपीआई) का निर्माण और प्रसार; और

- "बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण" के लिए रूपरेखा की समीक्षा।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.146 निक्षेप बीमा, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने और इस तरह जनता का विश्वास सुनिश्चित कर वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीआईसीजीसी का पूर्ण स्वामित्व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है और इसे डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत गठित किया गया है। डीआईसीजीसी द्वारा स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को जमा बीमा विस्तारित किया जाता है। 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत बीमित बैंकों की संख्या 2,043 थी, जिसमें 141 वाणिज्यिक बैंक (43 आरआरबी, 2 एलएबी, 6 पीबी और 12 एसएफबी सहित) और 1,902 सहकारी बैंक (33 एसटीसीबी , 352 डीसीसीबी और 1,517 यूसीबी) शामिल थे।

VI.147 भारत में जमा बीमा की वर्तमान सीमा ₹5 लाख है। मार्च 2022 के अंत में पूरी तरह से संरक्षित खातों (256.7 करोड़) की संख्या कुल खातों की संख्या (262.2 करोड़) का 97.9 प्रतिशत थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुसार 80 प्रतिशत खाते ही जमा बीमा से संरक्षित होने चाहिए। राशि के संदर्भ में, मार्च 2022 के अंत तक ₹81,10,431 करोड़ की कुल बीमाकृत जमाराशियां 20 से 30 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क[5] की तुलना में ₹1,65,49,630 करोड़ की कर-निर्धारणीय जमाराशियों का 49.0 प्रतिशत थीं। मौजूदा स्तर पर बीमा रक्षा, 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के 3.3 गुना से अधिक होगी।

VI.148 डीआईसीजीसी अपने निक्षेप बीमा कोष (डीआईएफ) को अपने अधिशेष के अंतरण के माध्यम से बनाता है, *यानी* प्रत्येक वर्ष निवल करों का समायोजन करके, व्यय (जमाकर्ताओं और संबंधित खर्चों के दावों का भुगतान) की तुलना में अधिक आय (मुख्य रूप से बीमित बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से ब्याज आय, और असफल बैंकों की आस्तियों से नकद वसूली) होती है। यह निधि रिज़र्व बैंक के 'सर्व समावेशी निदेश' (एआईडी) के अंतर्गत बैंक और परिसमापन/ समामेलन में शामिल बैंकों और बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, निगम ने ₹1,124.1 करोड़ की कुल राशि के लिए परिसमाप्त बैंकों के पांच मुख्य दावों और परिसमाप्त बैंकों के ₹101.0 करोड़ के 12 पूरक दावों का निपटान किया है। नौ शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में मुख्य दावों और अनुपूरक दावों की कुल राशि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के तहत ₹1,225.1 करोड़ थी। ऊपर वर्णित निपटाए गए दावों के अलावा, ₹3,791.6 करोड़ की राशि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) को तत्कालीन पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पीएमसीबीएल) के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए प्रदान की गई थी, जो कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) के तहत 25 जनवरी, 2022 से प्रभावी पीएमसीबीएल के यूएसएफबी के साथ विलय के बाद दी गई थी। इस प्रकार, परिसमाप्त बैंकों/ विलय योजना के लिए निपटाए गए कुल दावों की राशि ₹5,059.2 करोड़[6] थी।

VI.149 2021-22 के दौरान डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन एक प्रमुख घटना थी। इस संशोधन (अंतरिम भुगतान) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दिए गए अधिदेश को आमतौर पर अन्य कार्यक्षेत्रों में नहीं अपनाया जाता है (बॉक्स VI.5)। इस चैनल के अंतर्गत एआईडी के तहत 22 शहरी सहकारी बैंकों के मामले में 31 मार्च, 2022 तक ₹3,457.4 करोड़ के दावों का निपटान किया गया। कुल मिलाकर, निगम ने

[5] आईएडीआई (2013), प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली के लिए उन्नत मार्गदर्शन: निक्षेप बीमा कवरेज, मार्गदर्शन पत्र, मार्च, www.iadi.org पर उपलब्ध है।

[6] तीन सहकारी बैंकों के मामले में ₹42.6 करोड़ की राशि के लिए निगम की त्वरित दावा निपटान नीति के तहत निपटाए गए मुख्य दावों सहित।

बॉक्स VI.5

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन की मुख्य विशेषताएं

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को 13 अगस्त 2021 को अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया था। ये संशोधन 1 सितंबर 2021 से लागू हुए।

अधिनियम में एक प्रमुख संशोधन द्वारा यह अधिदेशित किया गया है कि जमाकर्ताओं को अंतरिम बीमा भुगतान, रिज़र्व बैंक द्वारा एआईडी लागू करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। बीमाकृत बैंक को, इस तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद, 45 दिनों के भीतर दावे प्रस्तुत करने होंगे, और निगम को 30 दिनों के भीतर दावों का सत्यापन करवाना होगा और अगले 15 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को भुगतान करना होगा। यदि रिज़र्व बैंक को समामेलन/समझौता या व्यवस्था/पुनर्निर्माण की योजना लाना समीचीन लगता है, तो निगम की देयता को 90 दिनों की अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा। कुछ अन्य संशोधन इस प्रकार हैं: (i) डीआईसीजीसी अपनी वित्तीय स्थिति और अखिल भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से बीमा प्रीमियम पर 15 पैसे प्रति ₹100 की जमाराशि की सीमा को बढ़ा सकता है।; और (ii) बीमाकृत बैंक के लिए, डीआईसीजीसी के प्रति अपनी देयता का निर्वहन करने के लिए, डीआईसीजीसी, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, चुकौती अवधि को स्थगित कर सकता है या बदल सकता है और देरी के मामले में रेपो दर के अतिरिक्त 2 प्रतिशत का दंडात्मक ब्याज वसूल सकता है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, दावों के निपटान से संबंधित प्रक्रिया और भुगतान किए गए दावों की वसूली के लिए बीमाकृत बैंकों को समय अवधि निर्दिष्ट करने के संबंध में, 22 सितंबर 2021 से डीआईसीजीसी के सामान्य विनियमों में विनियम 21ए और 22ए जोड़े गए हैं।

इन संशोधनों से बैंकिंग प्रणाली, विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों में जनता के विश्वास पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, और ये वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक होंगे।

स्रोत: भारत का राजपत्र (सीजी-डीएल-ई-13082021-228988 और सीजी-एमएच-ई-01102021-230102) और डीआईसीजीसी।

वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त विभिन्न चैनलों के तहत ₹8,516.6 करोड़ के कुल दावों का निपटान किया है। 31 मार्च, 2022 को डीआईएफ का आकार ₹1,46,842 करोड़ था, जिसका आरक्षित निधि अनुपात 1.81 प्रतिशत था।

6. निष्कर्ष

VI.150 2021-22 में, रिज़र्व बैंक ने अपनी विनियामक प्रतिक्रिया को उपयुक्त रूप से समायोजित करते हुए महामारी के फिर से उभरने के कारण उत्पन्न वित्तीय प्रणाली में संभावित व्यवधानों पर कड़ी नजर रखी। प्रमुख कंपनियों के साथ-साथ लघु व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम प्रभावोत्पादक रहे हैं। साथ ही, इस वर्ष में रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य योजनाओं में प्राथमिकताओं के पदानुक्रम में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ; इसके अलावा, एक एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण, सूक्ष्म वित्त के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा, जमा बीमा के मामले में समयबद्ध अंतरिम भुगतान, और वित्तीय जागरूकता और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न आयामों में कई पहलें की गईं। प्रभावी पर्यवेक्षण और कुशल ग्राहक सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने के उपाय भी किए गए। नीतिगत मध्यस्थता को कम करने और पर्याप्त जोखिम (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास जारी हैं, जिससे रिज़र्व बैंक समय पर हस्तक्षेप कर सके और आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय कार्रवाई कर सके। कुल मिलाकर, ये कदम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एससीबी, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाएंगे और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ बैंकिंग प्रणाली, विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र में जनता के विश्वास को भी बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण रूप से, रिज़र्व बैंक जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए एक भविष्योन्मुखी, व्यापक और कार्यनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की भी तैयारी कर रहा है।